खान भारती

वर्ष : 2021 अंक : 7

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर

कार्यालयीन कार्य हिंदी में ही क्यों ?

- यह संविधान की मूल भावना के अनुरूप है ।
- संविधान निर्माताओं की इच्छापूर्ति संभव होगी ।
- राष्ट्र की गरिमा और महिमा में वृद्धि सुनिश्चित है ।
- जन - जन में राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रतिष्ठा होगी ।
- हमारी कथनी और करनी का अंतर समाप्त होगा ।
- जन - जन की भाषा हिंदी में प्रभावी सार्थक सम्प्रेषण व पत्र व्यवहार संभव होगा ।
- राष्ट्र और जनभाषा के साथ ही हिंदी की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा होगी ।
- जटिल कार्य प्रक्रिया को सहज व सरल बनाना संभव होगा ।
- राजभाषा हिंदी की सेवा करने से राष्ट्र सेवा की गर्वानुभूति होगी ।
- हिंदी में काम करना हम सबका धर्म और कर्म है ।

हिंदी में कार्य कैसे शुरू करें ?

- पहले हिंदी में हस्ताक्षर करना प्रारंभ करें ।
- छोटी - छोटी सभी टिप्पणी नोट आदि हिंदी में लिखना शुरू करें ।
- सभी कार्यालयीन प्रपत्रों को हिंदी में ही भरें और अपने सहकर्मियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करें ।
- प्रयत्नपूर्वक सभी पत्र व्यवहार हिंदी में ही करें ।
- हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही प्रेषित करें ।
- अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों का प्रयोग करें यथा 567943 ।
- जैसा आप सोचते हैं या जो आप करना चाहते हैं, हिंदी में बिल्कुल वैसा ही लिख दें ।
- कठिन और साहित्यिक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए ।
- तकनीकी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखें जैसे - मेटल फर्नेस ।
- किसी भी प्रकार की कठिनाई या असुविधा की स्थिति में राजभाषा विभाग से सहयोग प्राप्त करें ।

वर्ष - 2021 **अंक - 7**

खान भारती

हिंदी अनुभाग
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

संरक्षक

संजय लोहिया

भा.प्र.से.

अपर सचिव एवं महानियंत्रक (प्रभारी)

संपादक मंडल

मुख्य संपादक	अभय अग्रवाल	क्षेत्रीय खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी
संपादक	अभिनय कुमार शर्मा	सहायक संपादक
संपादन सहयोग	मिताली चटर्जी	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
	असीम कुमार	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
	किशोर डी. पारधी	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

आवरण पृष्ठ सज्जा

विनय कुमार सक्सेना — वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक

साज - सज्जा एवं टंकण

प्रदीप कुमार सिन्हा — अवर श्रेणी लिपिक

संरक्षक का संदेश

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर की विभागीय हिंदी गृह - पत्रिका 'खान भारती' के आगामी अंक का ई-पत्रिका के रूप में प्रकाशन किया जा रहा है । हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति की भाषा रही है और आज यह केवल भारत की भाषा न होकर विश्व की एक बड़ी जनसंख्या की भाषा के रूप में विकसिल हो रही है ।

हिंदी गृह - पत्रिका राजभाषा हिंदी के संवर्धन, विकास और प्रसार में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाती है । इसके माध्यम से एक ओर जहां कार्मिकों को अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक मंच मिलता है, वहीं दूसरी ओर उसमें प्रकाशित आलेखों से उन्हें अपना अधिकाधिक सरकारी काम हिंदी में करने की प्रेरणा भी मिलती है ।

भारतीय खान ब्यूरो, खनिजों के संरक्षण व संधारणीय विकास के उत्तरदायित्व का सफल निर्वहन करते हुए, राजभाषा हिंदी के प्रचार - प्रसार के प्रति भी सजग है । राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशामें भारत सरकार की नीति यह है कि तकनी की विषयों पर अधिक से अधिक शोध लेख एवं पुस्तकें आदि राजभाषा हिंदी में उपलब्ध हों । मुझे आशा है कि इस पत्रिका में खनिजों के अन्वेषण, दोहन तथा इनके उपयोग से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं से संबंधित आलेख पाठकों को समुचित जानकारी उपलब्ध कराएंगे ।

मैं 'खान भारती' से जुड़े सभी लेखकों एवं संपादक मंडल को बधाई देता हूं तथा इस पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं ।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ।

संजय लोहिया

(संजय लोहिया)
अपर सचिव एवं
महानियंत्रक (प्रभारी)

महानियंत्रक (प्रभारी)
अपर सचिव एवं खान ब्यूरो

संदेश

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय अपनी हिंदी गृह - पत्रिका 'खान भारती' का प्रकाशन करने जा रहा है। हिंदी भारतीय संघ के संविधान द्वारा घोषित राजभाषा है जिसका देश के बड़े भू - भाग पर जनता मातृभाषा के रूप में प्रयोग करती है। यह संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा रही है। यही एक ऐसी भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा कामाख्या से कच्छ तक समझी और बोली जाती है।

वैश्वीकरण के इस दौर में ज्ञान संचालित समाज निर्मित हो रहा है तथा ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्दौगिकी के अधिक से अधिक प्रसार के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाना आवश्यक है। इस दिशा में हिंदी गृह पत्रिकाओं का विशेष महत्व और योगदान है। साथ ही, इससे कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों तथा उनके परिजनों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रखर करने एवं प्रदर्शित करने का एक आसान मंच मिलता है।

आज हिंदी के तकनीकी विकास ने गति पकड़ी है। अब तकनीकी माध्यमों पर हिंदी का निर्बाध प्रयोग हो रहा है, विशेषकर उन सभी प्लेटफॉर्मों पर, जहां यूनिकोड समर्थन मौजूद है। इंटरनेट खोज से लेकर ई-मेल सेवाओं तक, डाटाबेस से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशंस से लेकर इंटरफेस, ब्लॉग से लेकर सोशल नेटवर्किंग, समाचार वेबसाइटों से लेकर साहित्यिक कोशों तक हिंदी का विकास और प्रसार जारी है।

मुझे आशा है कि पत्रिका के इस अंक से विभाग के कार्मिकों में हिंदी के प्रति उतरोत्तर बढ़ती रूचि में वृद्धि होगी तथा हिंदी भाषा में लेखन की सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा और लेखन व पठन के प्रति रूझान बढ़ेगा। मैं गृह-पत्रिका 'खान भारती' के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ तथा प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

27.8.2021

(अभय अग्रवाल)
तकनीकी सचिव एवं
राजभाषा अधिकारी

संपादकीय

वर्ष - 2020 में हिंदी गृह - पत्रिका 'खान भारती' मुद्रण की पारंपरिक शैली से हटकर एक नये कलेवर अर्थात् ई- पत्रिका (फिलिप पत्रिका) के रूप में प्रकाशित हुई जिसके लिए पाठकों से प्रशंसा से आह्लादित होकर पुन: वर्ष - 2021 में हिंदी गृह - पत्रिका 'खान भारती' की ई- पत्रिका का नवीनतम अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार प्रसन्नता हो रही है। पत्रिका के लेखकों और पाठकों के सहयोग ने इस नवीन प्रयास को मूर्त रूप दिया है और सार्थक बनाया है।

'खान भारती' एक ऐसा मंच है जहाँ भारतीय खान ब्यूरो के परिवार के सदस्य राजभाषा हिंदी में अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को अपनी कहानी, कविता, लेख आदि रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। साथ ही, अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित ज्ञान और जानकारी को एक - दूसरे से साझा करते हैं।

अपनी भाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्रप्रेम का ही एक रूप है। अपनी भाषा में मौलिक लेखन बहुत ही सहज और स्वाभाविक होता है। हिंदी ने सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोकर सदैव अनेकता में एकता की भावना को पुष्ट किया है। साधारणतया हिंदी को अनुवाद की भाषा के रूप में ही देखा जाता है, परंतु हिंदी भी तकनीकी रूप से सुदृढ़ होने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। विगत वर्षों में विकसित हिंदी ई-टूल्स जैसे यूनिकोड-हिंदी की-बोर्ड, लीला सॉफ्टवेयर, गूगल वाइस टाईपिंग, गूगल अनुवाद आदि आमजन को राजभाषा हिंदी में कार्य करने की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी भी हिंदी के विकास की गति को रोक नहीं पाई। आज हम ऑनलाईन विराकास बैठक करते हैं, हिंदी कार्यशाला करते हैं, राजभाषा निरीक्षण करते हैं और यहाँ तक कि हिंदी पखवाड़ा भी ऑनलाईन आयोजित कर पा रहे हैं। हिंदी भी समकालीन तकनीकी प्रगति के साथ यथासंभव कदम से कदम मिलाकर निरंतर एवं निर्बाध रूप से अग्रसर हो रही है।

वर्ष - 2021 की हिंदी गृह - पत्रिका 'खान भारती' में विभिन्न विषयों पर आलेख एवं कविताएं प्रस्तुत की गई है निश्चय ही पाठकों को यह रोचक और सूचनाप्रद लगेंगे। पत्रिका के प्रकाशन के लिए मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके मार्गदर्शन से यह पत्रिका अपने वास्तविक कलेवर को प्राप्त कर सकी।

(अभिनय कुमार शर्मा)
सहायक संपादक

अ नु क्र म णि का

क्रमांक	रचना का शीर्षक	लेखक	पृष्ठ संख्या
1	साइबर क्राइम	डॉ. प्रदीप कुमार जैन	1-8
2	ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला - कोरोना के साये में	अभिनय कुमार शर्मा	9-10
3	आडम्बर	एकता गिरी	11-14
4	योग हस्त मुद्रा विज्ञान आधुनिक जीवन में : वरदान	विनय कुमार सक्सेना	15-18
5	सफलता में बाधक है हमारा नकारात्मक विश्वास	दिलीप पंवार	19-22
6	संस्कृति की वाहक होती है भाषा	किशोर डी. पारधी	23-24
7	राजभाषा और डॉ. अंबेडकर	पुखराज नेणिवाल	25-28
8	कैरियर की सफलता का मूलमंत्र	संजय डोंगरे	29-30
9	हिंदी के समक्ष चुनौतियां एक - दृष्टि	असीम कुमार	31-32
10	पोस्टकार्ड की आत्मकथा	पप्पू गुप्ता	33-34
11	क्रोध - भगवद गीता एक दृष्टिकोण	गौरव शर्मा	35-39
12	मन	विनय कुमार सक्सेना	40
13	कोरोना त्रासदी	मोहम्मद कासिम	41-42
14	भारतीय संस्कृति पर मंडराता संकट	श्रीमती मिताली चटर्जी	43-45
15	बिहार में बाढ़	अभिषेक कुमार	46-47
16	आज के समय में सोशल मीडिया	विकास कुमार	48-49
17	संविधान	कमल किशोर बंशकार	50-51
18	मानव और समाज	प्रदीप कुमार सिन्हा	52-54
19	वो भी एक दौर था ये भी एक दौर है	नंदकिशोर कनौजिया	55
20	शीर्षक अर्जूनोदय :	जय कुमार	56
21	प्रथम पहर	सूर्यभूषण प्रसाद	57
22	'सुंदर संस्कार'	राजेन्द्र सिंह बैस	58
23	जंगल की वह रात	जी. एस. सोनेकर	59-63
24	सिंगिंग बर्ड	प्रशांत तिनगुरिया	64
25	आतंकवाद	उमेश कुमार	65-66
हिंदी प्रगति			
26	वर्ष 2020 - 21 के दौरान राजभाषा हिंदी से संबंधित कार्यों की उपलब्धियाँ		67-74

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार लेखक के अपने हैं एवं संगठन से उसका कोई संबंध नहीं है।

साइबर क्राइम

डॉ. पी. के. जैन,
सेवानिवृत्त मुख्य खनिज अर्थशास्त्री, नागपुर

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर क्राइम शब्द बहुत ही जाना सुना नाम है। जब इंटरनेट का विकास किया गया तब शायद ही इसके निर्माणकर्ताओं को ये पता होगा की इस इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है जैसे की आपराधिक गतिविधियों के लिए। इस इन्टरनेट या साइबरस्पेस में जो भी क्राइम होते हैं उन्हें साईबर क्राईम कहा जाता है। इसके अनाम प्रकृति (anonymous nature) के कारण ही आपराधिक गतिविधियों की शुरुवात होती है और ऐसे लोग जिनका थोड़ा ज्यादा बुद्धिमत्ता है वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं। साइबर क्राइम के क्षेत्र का दिन व दिन विस्तार होती जा रही है और आपराधिक गतिविधियों के कई नए फार्म साइबरस्पेस में दिखाई पड़ रहे हैं।

ऐसे में प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इन साइबर क्राइम के विषय में जानकारी रखना अति आवश्यक है क्योंकि वो कहते हैं न की, जानकारी में ही समझदारी है। माना की इंटरनेट का लोगों को जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान है लेकिन इसके साथ कई उपयोगकर्ताओं साइबर क्राइम जैसे कि हैकिंग (hacking), चोरी (theft), पहचान की चोरी (identity theft) और दोषपूर्ण सॉफ़्टवेयर (malicious software) का शिकार बन रहे हैं इसलिए इन सब से बचने के लिए आपको और आपके डेटा या सूचना को सुरक्षित करना सबसे जरुरी है।

आज का युग कम्प्यूटर और इंटरनेट का युग है। कम्पयूटर की मदद के बिना किसी बड़े काम की कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसे में अपराधी भी तकनीक के सहारे हाईटेक हो रहे हैं वे जुर्म करने के लिए कम्प्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेज और वर्ल्ड वाइड वेब आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन ठगी या चोरी भी इसी इस अपराध का एक हिस्सा है।

साइबर क्राइम

साइबर क्राइम एक ऐसा प्रकार का अपराध होता है जिसमें कि कम्पयूटर एक वस्तु होता है अपराध (hacking, phishing, spamming) का और इसे एक औजार के हिसाब से इस्तेमाल में लाया जाता है कोई भी अपमान या अपराध करने के लिए, जैसे कि सूचना की चोरी, पहचान की चोरी (identity theft), बाल अश्लीलता (child pornography), घृणा अपराध (hate crimes), ऑनलाइन धोखाधड़ी (online fraud), इत्यादि। इस साइबर क्राइम को जो अंजाम देते हैं

उन्हें साइबर अपराधी (Cybercriminals) कहा जाता है। ये साइबर अपराधी कंप्यूटर और इंटरनेट प्रौद्योगिकी (Internet technology) का इस्तेमाल करते हैं निजी (personal) सूचना, व्यापार सफलता के रहस्य (business trade secrets) इत्यादि को प्राप्त (access) करने के लिए और साथ ही ये इंटरनेट का भी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं कई दुर्भावनापूर्ण (malicious) काम को करने के लिए।

इस काम के लिए वो कम्पयूटर का इस्तेमाल करते हैं Criminals जो इन illegal activities को करते हैं उन्हें कई लोग हैकर्स (hackers) या क्रेकर्स (crackers) भी कहते हैं साइबर क्राइम को बहुत लोग कंप्यूटर अपराध भी कहते हैं। इस साइबर क्राइम के कुछ सामान्य प्रकार है ऑनलाइन बैंक जानकारी की चोरी, पहचान की चोरी, ऑनलाइन हिंसक अपराध (बाल अश्लीलता) और अनधिकृत कंप्यूटर एक्सेस इत्यादि। इसके अलावा ये साइबर क्राइम यदि बड़ा रूप ले जाये तब उसे साइबर आतंकवाद कहा जाता है और ये सच में बड़ा गंभीर विषय है।

कानूनी प्रावधान

कानूनी दृष्टि से अगर बात करें तो सूचना तकनीक कानून 2000 के अंतर्गत इस बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें भिन्न धाराओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों का विवरण दिया गया है।

जैसे अगर कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश होती है, तो इसमें धारा 65 प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार डाटा के साथ छेड़छाड़ और हैक करने की अगर कोशिश की गई है तो धारा 66 अप्लाई होती है। 66a में अगर आप रिस्ट्रिक्टेड इनफॉरमेशन कहीं भेजते हैं, तो यह धारा एप्लीकेबल होती है, जबकि धारा 66b किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से सूचनाओं को चोरी करने पर प्रयुक्त होती है।

इसी प्रकार अगर किसी की आईडेंटिटी थेफ्ट होती है, तो 66c लगती है। वहीं, अपनी पहचान छुपा कर किसी दूसरे की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंच बनाने पर लगती है 66d लगती है। किसी की प्राइवेसी भंग होने पर 66e एवं साइबर टेररिज्म के खिलाफ 66 एप्लीकेबल होती है।

इसी प्रकार के अलग-अलग अपराधों के लिए धारा 67, 70, 71 और इसकी उपधाराएं प्रयोग में लाई जाती हैं। ना केवल सूचना तकनीक कानून 2000, बल्कि इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता में भी साइबर अपराधों के संबंध में जिन धाराओं का वर्णन किया गया है, उसका वर्णन कुछ यूं है।

इसमें अगर ईमेल के माध्यम से कोई थ्रेट देता है तो धारा 503 का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ईमेल के माध्यम से अगर किसी की मानहानि की जाती है तो धारा 499 एप्लीकेबल

होती है। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकार्ड के इस्तेमाल करने पर धारा 463 प्रयोग में लाई जाती है तो फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड के लिए 420 एप्लीकेबल है। और भी कई धाराएं साइबर क्राइम्स के लिए उपयोग में लाई जाती है।

साइबर अपराध के प्रकार

जब कोई अपराध इंटरनेट के ऊपर होता है उस अपराध को साइबर क्राइम कहा जाता है। वैसे देखा जाये तो साइबर क्राइम के बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन मैंने कुछ सामान्य प्रकार के विषय में नीचे बताया है :

हैकिंग (Hacking)

इस प्रकार के अपराध में हैकर्स अक्सर प्रतिबंधित क्षेत्र (restricted area) में घुसकर दूसरों के निजी (personal) और संवेदनशील (sensitive) सूचना को प्राप्त (access) करते हैं उनके बिना अनुमति के ही. ये प्रतिबंधित क्षेत्र किसी का निजी कम्पयूटर हो सकता है या कोई ऑनलाइन खाता।

हैकिंग या क्रेककिंग बहुत ही अलग होता है नैतिक हैकिंग (Ethical Hacking) से जहाँ की संगठन एथिकल हैकर्स को नियुक्त करते हैं उनके वेबसाइट की सुरक्षा जांच करने के लिए. वहीँ हैकिंग में, ये अपराध बिना प्राधिकार (authorization) के ही कई वैराइटी के सॉफ्टवेयर का इस्तमाल का किसी के भी कम्पयूटर में घुस जाते हैं और यहाँ तक की इसमें कंप्यूटर मालिक को ये पता तक नहीं चलता है की उसके सभी सूचना को कोई हैकर दूर से पहुँच कर रहा है. जसके लिए सजा का प्रावधान है. सूचना तकनीक कानून (संशोधन) 2008 की धारा 43 (ए), धारा 66 - आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत अपराध साबित होने पर तीन साल तक की जेल या पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

चोरी (Theft)

ये साइबर अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी कॉपीराइट कानून का उलंघन करता है और डाउनलोड करता है संगीत, फिल्में, खेल और सॉफ्टवेयर. ऐसे बहुत से सहकर्मी साझा करने वाली वेबसाइटें हैं जो की सॉफ़्टवेयर चोरी (software piracy) को प्रोत्साहित करें को और मालिक की अनुमति के बिना ही सभी प्रीमियम चीज़ों को स्वतंत्र रूप से वितरित करते हैं अपने वेबसाइटें में ऐसा करना क़ानूनी अपराध माना जाता है। ऐसे में कई कानून हैं जो की ऐसे अवैध डाउनलोड को अपराध मानते हैं। ऐसे मामलों में सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 की धारा 43 (बी), धारा 66 (ई), 67 (सी), आईपीसी की धारा 379, 405, 420 और कॉपीराइट कानून के तहत दोष

साबत होने पर अपराध की गंभीरता के हसाब से तीन साल तक की जेल या दो लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

साइबर स्टाकिंग (Cyber Stalking)

ये एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है जिसमें की पीड़ित (victim) को ऑनलाइन उत्पीड़न (online harass) किया जाता है किसी स्टेकर (staker) के द्वारा. ये प्राय: सामाजिक मीडिया (social media) में ज्यादा देखने को मिलता है जिसमें की ये पीछा करने वाले ऑनलाइन संदेश (stalkers online messages) और ईमेल के द्वारा पीड़ित को परेशान करते हैं. इसमें ये स्टेकर अक्सर छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं जिन्हें की इंटरनेट की ज्यादा समझ नहीं होती है। और ये उनसे उनका भौतिक पता, फोटो, व्यक्तिगत जानकारी (physical address, photos, personal information) प्राप्त कर बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं. इससे पीड़ित की जिंदगी बहुत काफी तकलीफ दायक बन जाता है।

पहचान की चोरी (Identity Theft)

यह साइबर क्राइम आज के समय में सबसे ज्यादा देखा गया है. ये ज्यादातर उन लोगों को निशाना करते हैं जो की इंटरनेट का इस्तेमाल कर अपने नकद लेनदेन (cash transactions) और बैंकिंग सेवाएं (banking services) करते हैं। इस साइबर क्राइम में, एक आपराधिक किसी व्यक्ति का सभी डेटा जैसे की उसका बैंक खाता संख्या, क्रेडिट कार्ड विवरण, इंटरनेट बैंकिंग विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, डेबिट कार्ड (bank account number, credit cards details, Internet Banking details, personal information, debit card) और दुसरे संवेदनशील जानकारी किसी प्रकार अभिगम (access) कर लेते हैं और फिर उन्ही विवरण (details) का इस्तमाल कर पीड़ित (Victim) का पहचान (identity) लेकर ऑनलाइन (online) चीज़ें खरीद (purchase) करते हैं। ऐसे में पीड़ित का बड़ा वित्तीय घाटा (financial losses) होता है. ऐसा करने वाले पर सूचना तकनीक कानून (संशोधन) 2008 की धारा 43, 66 (सी), आईपीसी की धारा 419 लगाए जाने का प्रावधान है जसमें दोष साबित होने पर तीन साल तक की जेल या एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

दोषपूर्ण सॉफ़्टवेयर (Malicious Software)

ऐसे बहुत से इंटरनेट आधारित सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हैं जो की किसी भी नेटवर्क को ख़राब कर सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को यदि किसी नेटवर्क में एक बार इंस्टॉल कर दिया जाये तब ये हैकर्स (hackers) बड़ी ही आसानी से उस नेटवर्क में स्तिथ सभी सूचना को अभिगम (access) कर सकते हैं और साथ में उसमें स्थित डाटा को भी खराब (damage) कर सकते हैं।

वायरस, स्पाइवेयर फैलाना

वायरस, स्पाइवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और उपयोगकर्ताओं की गैर-जानकारी में उनके बारे में सूचनाएं एकत्र किया करता है। वायरस, स्पाइवेयर की उपस्थिति आमतौर पर उपयोगकर्ताओं से छिपी होती है। विशिष्ट रूप से, स्पाइवेयर चुपके से उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। ताकि गुप्त रूप से अन्य उपयोगकर्ताओं की निगरानी की जा सके।

वाइरस (VIRUS) का पूरा नाम **Vital Information Resources Under Siege** है। वायरस कम्प्यूटर में छोटे- छोटे प्रोग्राम होते है जो ऑटो निष्पादन कार्यक्रम (auto execute program) होते जो कम्प्यूटर में प्रवेश करके कम्प्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते है। यह वायरस कहलाते है। वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम को फैल, आपके कंप्यूटर को हैक या आपके कंप्यूटर से आपकी पर्सनल जानकारियां चुरा सकते हैं।

स्पाइवेयर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर गुप्त रूप से निगरानी रखता है, जबकि स्पाइवेयर का काम महज निगरानी से भी कहीं ज्यादा है। स्पाइवेयर विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे कि इंटरनेट सर्फिंग की आदतें और जिन साइटों पर जाया जाता है। मगर, स्पाइवेयर अतिरिक्त सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करके और वेब ब्राउज़र को पुनःनिर्देशित करने जैसे अन्य तरीकों से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर के नियंत्रण में भी हस्तक्षेप कर सकता है। स्पाइवेयर को कंप्यूटर स्थापन को बदलने के लिए जाना है, जिससे कनेक्शन की गति, अलग-अलग होमपेज की गति और/या इंटरनेट और/या अन्य प्रोग्रामों की कार्यक्षमता धीमी हो जाती है।

ऐसा करने वाले पर सूचना तकनीक कानून (संशोधन) 2008 की धारा 43, 66 (सी), 66 (एफ) आईपीसी की धारा 268 लगाए जाने का प्रावधान है. जसमे दोष साबित होने पर तीन साल तक की जेल या एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. दोष साबित होने पर साइबर-वॉर और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद का प्रावधान है।

बाल पोनोग्राफी (Child Ponography) और बुरा व्यवहार (Abuse)

इस प्रकार के साइबर क्राइम में अपराधी ज्यादातर चैट रूम का इस्तेमाल करते हैं और खुद की पहचान को छुपाकर नाबालिगों के साथ बातचीत करते हैं। छोटे बच्चों को या नाबालिगों को इतनी ज्यादा समझ नहीं होती है जिसके चलते वो इन बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं और साथ में पोनोग्राफी के लिए बाध्य भी करते हैं. ऐसे धमकी से डरकर बच्चे अपने बड़ों से कुछ कह नहीं पाते हैं और इस Abusers का शिकार बनते हैं. बहुत से देश के सरकारों इस दिशा में काम कर रही है और कुछ हद तक सफल भी हुई है. ऐसे मामलों में सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2009 की धारा 67 (बी), आईपीसी की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। पहले अपराध पर पांच साल तक की जेल या दस

लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है लेकिन अन्य अपराध पर सात साल तक की जेल या दस लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

साइबर क्राइम की श्रेणियाँ

साइबर क्राइम को मोटे तौर पर तीन श्रेणियाँ में बांटा गया है, प्रत्येक श्रेणी में बहुत से अलग अलग प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में ये तरीके एक अपराधी से दुसरे में अलग होते हैं।

व्यक्ति (Individual): इस प्रकार के साइबर क्राइम में ये कई form ले सकता है जैसे की cyber stalking करना, pornography को distribute करना, trafficking और "grooming". अभी के बात करें तब बहुत से law enforcement agencies इस category के साइबर क्राइम को बहुत seriously ले रहे हैं और बहुत से अलग institution के साथ join होकर internationally ऐसे अपराधियों को arrest करने में सफल भी हो रहे हैं।

संपत्ति (Property): जैसे की हमारे real world में criminal हमारे चीज़ों, property को चुरा सकते हैं वैसे ही virtual world में भी cyber criminals victim के bank details, login details, credit card और debit card details को चुरा सकते हैं, और इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको financially दिक्कत हो सकती है। साथ में कुछ लोग को scammy sites बनाते हैं और लोगों को ठगते हैं। कुछ email के द्वारा offers और malicious software send करते हैं जिसे खोलने पर आपका computer उन hackers के control में चला जाता है।

सरकार (Government): हालाँकि ये ज्यादा common नहीं होता है लेकिन अगर crime किसी सरकार के विरुद्ध होता है तब इसे Cyber Terrorism कहा जाता है. अगर इसका सही से implemenation हो तब ये सरकार के government websites, military websites, Official Websites तक को hack कर सकते हैं। ये किसी देश की आर्थिक स्थिति को हिला डालने की क्षमता रखते हैं।

साइबर क्राइम और पुलिस

साइबर क्राइम एक बहुत ही नयी specialised field है, जो कि इंटरनेट में विस्तारित होती जा रही है. ऐसे में Cyberlaws में ऐसे बहुत से नए development होने बाकी हैं जिससे की इस crimes को सही तरीके से रोका जा सके. वैसे अभी के समय की बात करें तब किसी भी देश में ऐसे कोई comprehensive law अभी तक नहीं बना है साइबर क्राइम के संदर्भ में। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े-बड़े investigating agencies को भी इसमें बहुत दिक्कत आती है क्यूंकि ये virtual world का क्राइम हैं और इसे real world से control करना उतना आसान नहीं है।

अगर हम भारत की बात करें तब यहाँ पर भी वैसे कुछ comprehensive नियम या laws नहीं हैं लेकिन बहुत से शहरों में साइबर क्राइम सेल खोल दिए गए हैं जो की ऐसे मामलों को हैंडल करते हैं और साथ में ये awareness पैदा करते हैं कि कैसे इन सभी क्राइम से खुद को बचा सकें। साइबर क्राइम सेल केवल तभी ठीक ढंग से काम कर सकेगी जब पीड़ित साइबर पुलिस को पूरा सहयोग करेगी और साथ में सभी जरुरत के सबूत (evidence) प्रदान करेगी।

भारत में साइबर क्राइम

ये तो हम सभी जानते ही हैं कि Internet users के बढ़ जाने से साइबर क्राइम की rates में भी काफी बढ़ोतरी आई है। हम अपने आसपडोश में भी बहुतों को ये कहते सुने होंगे कि हम साइबर क्राइम का शिकार हो गए हैं, या किसी की credit card fraud हो गयी है. ऐसे में दुःख तो सभी को होता ही है लेकिन हम बहुत बार ये समझ नहीं पाते हैं इस क्राइम की complain कहा करें, किसे करें, क्या evidence show करना होगा और कितना समय लगेगा हमारे case को solve होने में जिसके चलते हम कुछ भी नहीं करते हैं और ये cyber criminals अपना काम करते रहते हैं।

साइबर क्राइम को रोकने के उपाय

साइबर क्राइम Complaints के विषय में step wise step जानते हैं

1. इसमें सबसे पहला step है की एक cyber crime complaint register करें वो भी written complaint अपने शहर में या पास के cyber crime cell में जहाँ आप रहते हैं।

IT Act के अनुसार, एक cyber crime global jurisdiction के अंतर्गत आता है. इसका मतलब है कि आप एक cyber crime complaint को भारत के किसी भी cyber cells में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं specifically जाने के जरुरत नहीं होती है। अभी भारत में प्राय सभी बड़े शहरों में dedicated cyber crime cell खुल चूके हैं।

2. जब आप कोई cyber crime complaint file करें, तब आपको अपना नाम, contact details और mailing address देना पड़ता है. इसके बाद आपको एक written complaint भी address करना होता है Head of the Cyber Crime Cell को आपके शहर में जहाँ आपने complaint file की थी।

3. अगर आप किसी online harassment के शिकार हैं, तब आपको एक legal counsel assist कर सकता है reporting के दौरान police station में Additionally, आपको कुछ documents भी प्रदान करना पड़ सकता है आपके complaint के साथ. ये निर्भर करता है कि आपके साथ हुआ crime किस प्रकार का है।

4. अगर आपके शहर में कोई भी cyber cell नहीं है, तब आप एक First Information Report (FIR) भी किसी एक local police station में दर्ज कर सकते हैं. अगर आपके complaint को

accept नहीं किया गया, तब आप Commissioner को भी approach कर सकते हैं या city के Judicial Magistrate को।

5. कुछ cyber crime offenses Indian Penal Code के अंतर्गत भी आते हैं. इसलिए इन्हें आप एक cyber crime FIR के तोर पर किसी निकटवर्ती local police station में report कर सकते हैं।

6. ज्यादातर साइबर क्राइम जिन्हें कि Indian Penal Code cover करता है उन्हें classify किया जाता है cognizable offenses के तौर पर। एक cognizable offense वह crime होता है जिसमें कि कोई भी warrant की जरुरत ही नहीं होती है किसी को arrest या investigate करने के लिए। ऐसे cases में एक police officer को बाध्य होकर एक Zero FIR record करना होता है उस complainant के लिए फिर वो उसे आगे forward करेंगे उस police station को जहाँ कि ये offense actually हुआ है।

7. Zero FIR victims को बड़ा आराम प्रदान करता है क्यूंकि इन cases में immediate attention/investigation करना पड़ता है बिना time waste किये और ये खूब शीघ्र होता है। *Section 154 के अंतर्गत ये compulsory है की, Code of Criminal Procedure में, किसी भी offense होने पर कोई भी police officer के लिए ये compulsory है को उन्हें victim की complaint को register करना होता है, चाहे वो कोई भी प्रकार का crime क्यूँ न हो. ऐसे में कोई भी police officer complaint register करने से मना नहीं कर सकता।*

निष्कर्ष :-

आज के समय में हर किसी को बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है और खुद की इनफॉरमेशन को प्रोटेक्ट करने की उतनी ही आवश्यकता है। आज के समय में लोगों की बैंकिंग इनफार्मेशन से लेकर मेल, सोशल मीडिया डिटेल्स और दूसरी तमाम सेंसेटिव इनफॉरमेशन कंप्यूटर पर और मोबाइल पर उपलब्ध होती है, इसीलिए जरूरी है कि सभी के पासवर्ड सुरक्षित रहें एवं जहाँ संभव हो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव रहें।

साथ ही किसी के साथ भी ओटीपी जैसा इम्पॉर्टेंट कोड शेयर ना किया जाए। इसके अलावा शॉपिंग के लिए हमेशा SSL प्रयुक्त वेबसाइट इस्तेमाल में लाई जाए। और भी दूसरी तमाम सावधानियां इंटरनेट पर रखने की आवश्यकता है, जैसे- अपनी प्राइवेट और संवेदनशील फोटो कभी भी उस कंप्यूटर या मोबाइल में ना रखें, जहां इंटरनेट का असुरक्षित एक्सेस हो।

इस तरीके से साइबर अपराध से खुद का बचाव कर सकते हैं और अगर दुर्घटना व आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

<u>ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला - कोरोना के साये में</u>

अभिनय कुमार शर्मा
सहायक संपादक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

हर साल जनवरी में हम नागपुर के लोग उत्सुकता से एक विशेष त्यौहार का इंतजार करते हैं, जो मध्य भारत में अपनी तरह का एकमात्र है यानी साउथ सेंट्रल ज़ोन कल्चरल सेंटर द्वारा आयोजित ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का गवाह बनने के लिए यहां बहुत बड़ा जनसमुदाय इकट्ठा होता है। हम एक स्थान पर अंतस्राज्यीय सांस्कृतिक गतिविधियों के संगम को देखते हैं। विभिन्न राज्यों के आदिवासी और स्थानीय लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति (कठपुतली शो, लोक नृत्य, सांस्कृतिक नाटक आदि) एवं बनाई गई कलाकृतियों, पेंटिंग, कपड़े और आभूषणों को देखकर हमें मंत्रमुग्ध होने का मौका मिलता है।

जैसा कि हम जानते हैं कि कई व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण हम अलग - अलग स्थानों पर घूमने नहीं जा सकते हैं। इसके कारण, हम अपने देश के सांस्कृतिक लोकाचार को जानने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, इस जीवन शैली के कारण हम संपूर्ण विश्व में अनूठी अपनी भारतीय संस्कृति के संदर्भ में अपना ज्ञान नहीं बढ़ा पाते हैं जो बहुत समृद्ध एवं गहन है। ऐसी स्थिति में, ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला जो साउथ सेंट्रल कल्चरल ज़ोन नागपुर द्वारा आयोजित किया जाता है, नागपुर के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। हमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यहां तक कि जम्मू और कश्मीर जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक झलक या संपूर्ण सांस्कृतिक चित्रमाला को एक ही स्थान पर देखने का तथा उसको जानने का बेहतर मौका मिलता है। हर साल मेरे परिवार के सदस्य इस प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम का उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं उन्हें नए साल की इतनी उत्सुकता नहीं होती है जितनी बेसब्री से वे इस सांस्कृतिक उत्सव के करिश्माई एहसास को पाने के लिए वर्ष की शुरुआत में इसका इंतजार करते हैं।

यह इस गतिविधि के बारे में एक पक्षीय चर्चा है, अगर हम दूसरे पक्ष पर चर्चा करते हैं तो हम यह कहते हुए अभिभूत हो जाते हैं कि कोरोना ने इस सांस्कृतिक उत्सव को भी अपना

शिकार बनाया है। यह नागपुरवासियों के लिए इतना निराशाजनक है कि इस वर्ष हम इस महामारी की स्थिति के कारण विविध सांस्कृतिक झलक का अनुभव नहीं कर सके। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अगले वर्ष भी हमे उम्मीद नहीं हैं कि यह कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा। इस कोरोना ने अपने भयानक प्रभाव के तहत सभी रचनात्मकता को अपने अधीन कर दिया है।हम केवल इस लॉकडाउन अवधि के दौरान इस मेले के बारे में अपने पिछले अनुभवों पर चर्चा और विचार साझा कर सकते हैं।

हालाँकि, एक बात स्पष्ट है कि इस अभूतपूर्व और भयानक स्थिति के कारण इस विशेष सांस्कृतिक गतिविधि को स्थगित या रद्द किया जा सकता है लेकिन इसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता क्योंकि कला और संस्कृति की लहर इतनी प्रतिष्ठित और शक्तिशाली होती है कि यह किसी भी बाधा को अपने सामने बौना साबित कर देगी चाहे वो कोरोना की कोई सी भी लहर हो। क्योंकि यह कहा गया है कि समाज में किसी व्यक्ति का कद और अखिल विश्व में किसी भी देश का कद उसकी समृद्ध कला और संस्कृति से ही निर्धारित होता है।एक महान इटैलियन राजनीतिक कार्यकर्ता मेजनी ने भी उद्धृत किया है -

"एक व्यक्ति की तरह, राष्ट्र भी जीते हैं और मर जाते हैं, लेकिन संस्कृति कभी नहीं ढहती है।"

इसलिए, हमें उम्मीद है कि एक दिन हम निश्चित रूप से ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेले में अपनी प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश टिकट लेंगे, जो निस्संदेह, मध्य भारत की विशेषकर नागपुर की एक उल्लेखनीय घटना है।

आडम्बर

एकता गिरि
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, कोलकाता

सारे दिन की भागदौड़ के बाद रात को किरण ने अपना 'फेसबुक अकाउंट' खोला तो सुजाता की 'पोस्ट' को देखकर उसका मन कसैला हो गया। लगा मानो, कल की ही तो बात है, उसने चहकते हुए जमुना देवी को फोन करके पूछा था 'प्रणाम दादी ! कैसी हैं, आप?'

उधर से लगभग अस्सी साल की वृद्धा जमुना देवी ने खांसी को रोकने का प्रयास करते हुए बड़े ही थके शब्दों में कहा, 'खुश रहो बेटा। ठीक हूँ.....।'

जमुना देवी ने 'ठीक हूँ' इतना लम्बा खींचा था कि फोन पर ही किरण को समझ में आ गया, 'तबियत ठीक नहीं है।'

रहेगी भी कैसे ! उम्र ही ऐसी है, कुछ न कुछ तो हमेशा लगा ही रहता है। कभी पेट खराब तो कभी घुटनों का दर्द और फिर अब तो साँस फूलने की भी बीमारी लग गई थी।

'क्या कर रही थीं दादी' किरण ने अगला प्रश्न किया।

'कुछ नहीं बेटा, बैठे हैं बस। ऊब जाते हैं बैठे - बैठे, घुटनों के दर्द से तो अब चला भी नहीं जाता। छड़ी पकड़ कर इसी कमरे में दो - चार कदम चल लिए तो बहुत है। अब तो कुछ काम भी नहीं हो पाता है।'

'और कितना काम करेंगी ! सारी उम्र ही तो आपने काम किया, अब बच्चों को करने दीजिये।' फिर किरण ने हँसते हुए आगे पूछा 'कल तो आपके बर्थडे की पार्टी थी ! क्या - क्या गिफ्ट मिले आपको !'

'हाँ थी तो बेटा ! बड़ी रात तक सब बच्चे आ कर उछल - कूद मचाये थे। केक भी आया था। बहुत सारी फोटो भी खींची। बोल रहे थे, किसी बुक में डालेंगे.....।'

'फेसबुक दादी' किरण ने जमुना देवी को टोकते हुए कहा।

'हाँ....., हाँ वही। एक दिन की चांदनी थी बेटा, अब तो बस काली रातें ही हैं। सारा दिन अकेले बैठे - बैठे ऊब जाते हैं.....।'

'मालिश करने वाला आया था' किरण ने जमुना देवी की बात को दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास किया।

'नहीं आया बेटा, वह भी बहुत फांकी मारता है। कल भी नहीं आया था।'

'ओह ! आपने चाय पी ली।'

'नहीं बेटा, अभी पियेंगे।'

'दिवाकर अंकल आ गए !'

'अभी कहाँ ! वो तो ग्यारह बजे से पहले नहीं आता है। कितनी बार कहा, इतना काम क्यों करते हो। हम लोग नमक - रोटी खा लेंगे, लेकिन सुनता ही नहीं। बड़ा वकील बन गया है न, काम ज्यादा हो गया है।'

फिर थोड़ा रुककर जमुनादेवी आगे बोलीं, 'एक तुम ही हो बेटा, जो हर दूसरे दिन पर फोन कर लेती हो। अच्छा लगता है बेटा, तुमसे बात करके। कल तुम मिलने भी आ गई थी ! तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा जन्मदिन है !'

'हें, हें, हें.....,मैं जासूस हूँ। मुझे सब पता रहता है। किरण ने हँसते हुए आगे कहा 'मुझे ये भी पता है कि आपके घुटने का दर्द कम नहीं हुआ है फिर भी आप कहती हैं पहले से ठीक है।'

'तो क्या करुँ बेटा ! बार - बार सब एक ही बात पूछते हैं, इसलिए कह देती हूँ, पहले से ठीक है।'

'देखा.....! मुझे सब पता है।'

'फोन करती रहा करो बेटा, अच्छा लगता है' जमुना देवी भावुक हो उठी थीं।

'हाँ, बिल्कुल करुँगी। आप चिन्ता मत कीजिये। अब आप चाय पीजिये, मैं फोन रखती हूँ।

'खुश रहो बेटा !'

किरण ने 'प्रणाम' कह कर फोन रख दिया।

रक्त संबंधों की दृष्टि से देखा जाये तो किरण, जमुना देवी की कुछ भी नहीं लगती है। दूर - दूर तक उसका जमुना देवी और उनके परिवार से कहीं कोई संबंध नहीं है किन्तु, कभी - कभी आत्मीयता के बंधन रक्त संबंधों पर भारी पड़ने लगते हैं।

काम के सिलसिले में किरण की दिवाकर से कुछ जान - पहचान थी और यही पहचान जमुना देवी के अकेलेपन का सहारा बनी थी।

कहने को तो जमुना देवी के दो बेटे और दो बेटियों से भरा - पूरा परिवार था फिर भी, जमुना देवी एकदम अकेली थीं। दोनों बेटियाँ तो अपने ससुराल में थी और छोटे बेटे दिवाकर ने शादी नहीं की थी। बड़े बेटे सुधाकर के दो बेटे और एक बेटी थी किन्तु, एक ही मकान में रहते हुये भी किसी के पास इतना समय नहीं था जो जमुनादेवी के अकेलेपन का साथी बन सके। जब तक जमुनादेवी के पति इस दुनिया में थे तब तक तो सब ठीक ही था लेकिन, उनके जाने के बाद जमुना देवी मात्र एक कमरे में सिमट कर रह गई थीं।

सुधाकर की पत्नी, सुजाता ने तो सुधाकर से साफ - साफ कह दिया था, 'मुझसे तुम्हारी माँ की सेवा नहीं हो पायेगी। उनका खाना, उनके नखरे दिवाकर को संभालने दो। जिम्मेदारी ही क्या है उसकी ! न बीवी, न बाल - बच्चे, जितना कमाता है, ऐशो आराम में ही तो खर्च करता है। ऊपर से उसके पास नौकरानी भी है। यहाँ तो खुद ही खटना पड़ेगा। अपना परिवार संभालूँ कि तुम्हारी माँ को संभालूँ ! ना बाबा ना.....! मुझसे नहीं हो पायेंगे, इतने सारे काम !'

'ठीक है, तुम चिन्ता क्यों करती हो, मैं दिवाकर से कह दूँगा ! अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक और नौकरानी लगवा देता हूँ तुम्हें रसोई के कामों में मदद मिल जायेगी' सुधाकर ने सुजाता को समझाते हुए कहा था।

'नौकरानी लगानी है तो लगवा दो, मुझे सोशल नेटवर्किंग के लिए कुछ फुर्सत मिल जायेगी लेकिन, अपनी माँ के पचड़ों से मुझे दूर ही रखना।'

सुजाता और सुधाकर की बातें जब छोटे बेटे दिवाकर के कानों में पड़ीं तो उसने अपनी भाभी को शांत कराते हुये कहा, 'माँ के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं माँ को संभाल लूँगा।'

और इस तरह एक ही मकान में रहते दो बेटों की माँ - जमुनादेवी, छोटे बेटे दिवाकर के हिस्से में आ गईं। उनकी बीमारी, दवाईयाँ, इत्यादि से लेकर खाने तक की सभी जिम्मेदारी दिवाकर ने सहर्ष स्वीकार कर ली।

किन्तु, जमुनादेवी को अब इस उम्र में इन सब के साथ - साथ, एक व्यक्ति की भी जरूरत थी, जो उनसे बात करे, जो उनकी बात सुने। जबकि, दिवाकर सारा दिन अपनी वकालत में उलझे रहते और उनकी नौकरानी घर के कामों में।

हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब जमुनादेवी बीमार पड़ीं और उन्हें अस्पताल में इसलिए रहना पड़ा क्योंकि घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जमुनादेवी की स्थिति को देखते हुए किरण ने दिवाकर से कहा भी था, 'अंकल यदि आप उचित समझें तो दादी को अस्पताल से निकाल कर कुछ दिन मेरे घर पर रख दीजिये, मैं देखभाल कर लूँगी।'

किन्तु, दिवाकर ने किरण को 'उचित नहीं होगा' यह कहकर टाल दिया था।

फिर किरण ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि जमुनादेवी के संबंध में कोई भी फैसला लेने का अधिकार उनके संबंधियों का ही था। किरण का तो दूर - दूर तक उनसे कहीं कोई वास्ता नहीं था।

घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जमुनादेवी भी इस बात को भलीभांति जानती थीं इसलिए डेढ़ महीने तक अस्पताल में रहने के बाद जब वे घर लौटीं तो उनकी सांसें थम

चुकी थीं। रुपये जरूर खर्च हुए थे उनके ऊपर लेकिन शारीरिक रूप से उन्होंने किसी पर कोई बोझ नहीं डाला था। शान्ति से निकल गई थीं वे अपनी अनन्त यात्रा पर।

इसके बाद फिर वही, सामानों का बंटवारा !

जमुनादेवी के बक्से में रखे सामानों को लेने के लिए सुजाता ने कई दिनों तक घर में कोहराम मचाये रखा। जमुनादेवी की दोनों बेटियों को भिखारी तक कह दिया। गले की चेन, चांदी की परात और भी न जाने किन - किन चीजों पर गाली - गलौज हुई, ताने मारे गए। मामला तब सलटा जब, दोनों बेटियों ने 'हमें कुछ नहीं चाहिए' कह कर अपने - अपने ससुराल का रास्ता पकड़ लिया।

सुजाता और सुधाकर ने जितना बन सका, जमुनादेवी के सामानों को अपने कब्जे में ले लिया। दिवाकर के हिस्से में आईं - जमुनादेवी की कुछ पुरानी तस्वीरें, उनके भगवान और गीता, रामायण जैसी कुछ किताबें।

जमुनादेवी को गए आज पूरे एक बरस हो चुके हैं और इसीलिए सुजाता ने 'फेसबुक' पर जमुनादेवी की एक तस्वीर 'पोस्ट' कर उसके नीचे लिखा था - 'अश्रुपूरित श्रृद्धांजलि।

इन शब्दों की वास्तविकता किरण से छिपी नहीं थी। उसके जी में आया, 'कमेंट' में लिख दें, 'ये कैसी श्रृद्धांजलि है ! जीते - जी जो फूटी आँख न सुहाया, उसके न रहने पर समाज के सामने इतना बड़ा आडम्बर किसलिए !' लेकिन वह कुछ लिख नहीं पाई, न चाहते हुए उसने भी 'लाईक' का बटन दबा दिया।

योग हस्त मुद्रा विज्ञान : आधुनिक जीवन में वरदान

विनय कुमार सक्सेना
वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

आधुनिक जीवन में अनियमित जीवन शैली एवं व्यावहारिक जटिलताओं ने मानव की रोग प्रतिरोधक शक्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है। आधुनिक जीवन की भाग- दौड़ वाली जीवन शैली में योग की मुख्य विधाएँ - आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि की लिए समय निकाल पाना एक चुनौती है। अधिकतर लोग आसन और प्राणायाम की बारे में जानते तो हैं किन्तु व्यावहारिक समस्याओं जैसे- अति व्यस्तताएं , योग में उचित मार्गदर्शन का अभाव, अस्वस्थता आदि की चलते योग को जीवन का हिस्सा बना पाने में असमर्थ हैं। आधुनिक सभ्यता की अति व्यस्तता व जीवन शैली का पूर्वाभास शायद हमारे ऋषि - मनीषियों को रहा होगा, इसीलिये उन्होंने योग के प्राचीन ग्रंथों में आसन, प्राणायाम के साथ हस्त मुद्राओं की खोज की तथा आसन एवं प्राणायाम की दुरूहता को दूर करते हुए योग हस्त मुद्रा विज्ञान की रचना की आधुनिक युग में आचार्य केशव देव ने मुद्रा चिकित्सा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए सम्पूर्ण विश्व को इस दिव्य ज्ञान से परिचित करवाया एवं उसका प्रचार - प्रसार किया।

हस्त मुद्रा विज्ञान की अवधारणा एवं सिद्धांत

हस्त मुद्राएं प्राचीन योग विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग हैं। इसका लाभ हजारों वर्षों से योग साधक उठा रहें हैं। प्राचीन ध्यानस्थ मूर्तियों में इन हस्तमुद्राओं को अक्सर देखा जाता है जो ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा , चिन मुद्रा आदि में ध्यानस्थ दिखाई देती हैं। विशेषकर भगवान बुद्ध की मूर्तियां तो हस्त मुद्राओं के बिना अधूरी हैं . हस्तमुद्रा विज्ञान अथवा चिकित्सा आयुर्वेद के पंच तत्व सिद्धांत पर आधरित है. प्रकृति प्रदत्त ये पांच तत्व - पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं। हमारे हाथ की पाँचों अंगुलियां इन पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा उनका बोध कराती हैं जैसे-

अगूंठा (Thumb) - अग्नि तत्व
तर्जनी (Index Finger) - वायु तत्व
मध्यमा (Middle Finger) - आकाश तत्व
अनामिका (Ring Finger) - पृथ्वी तत्व

कनिष्ठा (Small Finger) - जल तत्व

उपरोक्त पंच तत्वों से मिलकर हमारी प्राण ऊर्जा का निर्माण होता है जो जीवन का आधार है। इन पांच तत्वों के असंतुलन से ही शरीर में रोगों का प्रादुर्भाव होता है तथा प्राण ऊर्जा का ह्रास होता है। उदाहरणार्थ - पृथ्वी तत्व के असंतुलन से शरीर में जड़ता, मन में उदासी, शरीर में भारीपन, कमजोरी, अस्थि रोग आदि होते हैं। जल तत्व के असंतुलन से सर्दी, जुकाम, मूत्ररोग आदि होते हैं। अग्नि तत्व के असंतुलन से बुखार, त्वचा रोग, गैस, एसिडिटी, मधुमेह आदि रोग होते हैं वायु तत्व के असंतुलन से स्नायु रोग, संधि रोग, हृदय रोग, निराशा, अवसाद रक्तचाप आदि रोग होते हैं, इसी प्रकार आकाश तत्व के असंतुलन से त्रिदोष, कान, गले के रोग, थायरॉइड आदि रोग होते हैं। इन पांच तत्वों को शरीर में संतुलित कर लिया जाए तो हर रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन पंच तत्वों के संतुलन को सहजता से संतुलित करने के विज्ञान का नाम है - हस्त मुद्रा विज्ञान।

हस्तमुद्रा क्या है ?

हाथ की अँगुलियों को परस्पर विभिन्न विधि द्वारा स्पर्श करना हस्त मुद्रा कहलाता है। हमारी हर अंगुली तीन भागों में विभाजित होती है : शीर्ष, मध्य तथा मूल भाग। किसी भी अंगुली के शीर्ष भाग को अंगूठे के शीर्ष भाग से मिलाने से अंगुली विशेष से सम्बंधित तत्व सम हो जाता है। अंगूठे के शीर्ष भाग को किसी भी अंगुली के मूल भाग में लगाने से शरीर में अंगुली विशेष से सम्बंधित तत्व बढ़ने लगता है। इसी प्रकार किसी भी अंगुली के मध्य भाग को अगूंठे के अग्रभाग से दबाने पर अंगुली विशेष से सम्बंधित तत्व घटने लगता है, दूसरे शब्दों में किसी भी अंगुली को मोड़कर अंगूठे के अग्र भाग से दबाने पर तत्व विशेष घटने लगता है। हस्त मुद्रा को योग में वर्णित आसनों का विकसित रूप माना जाता है। इनमें प्राण ऊर्जा की प्रधानता एवं इन्द्रियों की गौणता होती है। हस्त मुद्रा द्वारा शरीर के पंच तत्वों में संतुलन रख न केवल स्वास्थ्य को पाया जा सकता है अपितु उसे कायम भी रखा जा सकता है।

आधुनिक जीवन के रोग एवं हस्त मुद्रा विज्ञान

वर्तमान में भौतिकवादिता के कारण अनियमित जीवन शैली के चलते अनेक रोग मानव समाज को आक्रान्त किये हुए हैं, उनमें मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप, अवसाद, मोटापा, फेफड़े के रोग, पेट से सम्बंधित रोग आदि के मामले ज्यादा दृष्टिगत होते हैं। सभी रोग चाहे वे संक्रामक हो अथवा असंक्रामक इन रोगों पर नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति की जो पंच तत्वों के संतुलन पर आधारित होती है, यही पंच तत्वों का संतुलन हस्त मुद्रा चिकित्सा का आधार है। यहाँ हम कुछ चयनित हस्त मुद्राओं की चर्चा कर रहें हैं जो वर्तमान में प्रचलित रोगों पर प्रभावी है :-

क्र. सं.	हस्त मुद्रा	हस्त मुद्रा की क्रिया विधि	रोगों में लाभदायक
1.	ज्ञान मुद्रा	अंगूठा एवं तर्जनी अंगुली के अग्र भाग को मिलाएं, शेष अगुंलियाँ सीधी रहे।	अनिद्रा, अवसाद, आलस्य, घबराहट, स्मरण शक्ति में वृद्धि, बुध्दिजीवी एवं विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष लाभदायी।
2.	वायु मुद्रा	तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का सा दबाएं।	सभी वात रोग, गठिया, लकवा, अंग कम्पन आदि पर प्रभावी।
3.	सूर्य मुद्रा	अनामिका अंगुली को अंगूठे के मूल लगाकर अगूंठे से दबाएं.	मोटापा पर नियंत्रण, कोलेस्ट्रॉल में कमी, पाचन क्रिया में सहायक, मधुमेह, यकृत रोगों में प्रभावी।
4.	पृथ्वी मुद्रा	अनामिका अंगुली एवं अंगूठे के अग्र भाग को मिलाए।	शारीरिक दुर्बलता, पाचनशक्ति विकासक, कांतिवर्धक, ओजवर्धक, वजन बढ़ाने में सहायक।
5.	प्राण मुद्रा	कनिष्ठा, अनामिका एवं अंगूठे के अग्र भाग को मिलाएं।	रोग प्रतिरोधक शक्तिवर्धक, नेत्र ज्योति वर्धक, रक्त संचार में नियमितता, कैंसर, फेफड़ों के रोग आदि में प्रभावी।
6.	अपान मुद्रा	अनामिका, मध्यमा अंगुली एवं अंगूठे के अग्र भाग को मिलाएं।	शरीर के विजातीय तत्वों का निष्कासन, कब्ज, बबासीर, मधुमेह, गुर्दा रोग, मूत्र रोग, पथरी, गर्भाशय रोग आदि में प्रभावी।
7.	मृत संजीवनी मुद्रा	तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का सा दबाएं तथा अनामिका, मध्यमा अंगुली एवं अंगूठे के अग्र भाग को मिलाएं।	हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हृदय शूल, पेट में वायु, पेट दर्द, दमा, पित्त, हृदयाघात आदि में प्रभावी।
8.	ध्यान मुद्रा	बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखें. कमर सीधी व नेत्र बंद रखें।	ओज एवं एकाग्रता में वृद्धि, ध्यान की उच्च स्थिति तक पहुंचाने में सहायक, मानसिक शान्ति प्रदायक।
9.	आकाश मुद्रा	मध्यमा अंगुली एवं अंगूठे के अग्र भाग को मिलाएं।	कान के रोग, हड्डियों की कमजोरी, हृदय रोग, जबड़े की अकड़न, सिर दर्द में प्रभावी।

10.	लिंग मुद्रा	दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर बाएं हाथ का अंगूठा खड़ा रखें। दाहिने हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ के अंगूठे को लपेट लें।	शरीर में गर्मी बढ़ाती है, सर्दी, जुकाम, साइनस, निम्न रक्तचाप, दमा, असाध्य संक्रमण में प्रभावी।

हस्त मुद्रा चिकित्सा के दौरान विशेष निर्देश :-

1. भोजन करने के तुरंत बाद सामान्यत: कोई हस्त मुद्रा न लगाएं।
2. हस्त मुद्राओं को चलते - फिरते, उठते -बैठते, लगा सकते हैं किन्तु शांत बैठकर लगाने से बेहतर परिणाम मिलते हैं।
3. हस्त मुद्राओं को सामान्यत: 45 मिनट की कालावधि तक लगाएं।
4. कुछ हस्त मुद्राएं आपातकालीन होती हैं, उन्हें लाभ होते ही खोल देना चाहिए।
5.एक हस्त मुद्रा करने के तुरंत बाद दूसरी हस्त मुद्रा लगा सकते हैं परन्तु वह विपरीत हस्त मुद्रा न हों।
6. हस्त मुद्राओं के अभ्यास के पूर्व विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि कुछ हस्त मुद्राओं में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है।

हमने अक्सर सुना है - "अपना हाथ जगन्नाथ" जो कि हस्त मुद्रा विज्ञान पर सटीक बैठता है। हमारे हाथ ईश्वर प्रदत्त अनुपम उपहार हैं। वे लोग जो आसन, प्राणायाम आदि किसी कारण से नहीं कर सकते, वे मुद्राओं के अभ्यास से स्वास्थ्य लाभ व निरोग जीवन का आनंद उठा सकते हैं। वर्तमान में प्राचीन योग मुद्राओं का विज्ञान हस्त मुद्रा चिकित्सा का आकार ग्रहण कर चुका है। विभिन्न मुद्राओं के प्रयोग द्वारा हम तीव्र एवं असाध्य रोग पर विजय पाकर आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं।

प्रकृति के पंच महाभूत अथवा पंच तत्वों के संतुलित करने के स्विच हमारे हाथों की अगुंलियों में हैं, इस तरह से हमारे हाथों की अँगुलियों को "दिव्य चिकित्सालय" की संज्ञा दी जाए तो अतार्किक ना होगा।

सफलता में बाधक है हमारा नकारात्मक विश्वास

दिलीप पंवार
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

हेनरी फोर्ड ने कहा है कि अगर आपको विश्वास है कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सही हैं और अगर आपको विश्वास है कि आप सफल नहीं हो सकते तो भी आप सही हैं। हमारा विश्वास ही सफलता प्रदान करता है और हमारा विश्वास ही असफलता प्रदान करता है लेकिन दोनों प्रकार के विश्वासों में अन्तर होता है। एक सकारात्मक विश्वास है तो दूसरा नकारात्मक विश्वास। सकारात्मक विश्वास सफलता प्रदान करने में सक्षम है तो नकारात्मक विश्वास असफलता के लिए उत्तरदायी है।कल आफिस जाने के लिए जैसे ही घर से निकले बरसात हो गई और सारे कपड़े खराब हो गए जिससे दिन भर परेशानी होती रही। लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं कि आज भी वैसा ही होगा या हमेशा ही ऐसा होता रहेगा। क्या ऐसा सोच कर आफिस जाना ही छोड़ दिया जाए जहाँ प्रायः रोज बारिश होती है वहाँ भी लोग काम पर जाते ही हैं। एक बार वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया।

उन्होंने एक एक्वेरियम में एक बड़ी पाइक मछली को रखा और उसी एक्वेरियम में उसके खाने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ रख दीं। जब भी बड़ी पाइक मछली को भूख लगती वो छोटी मछलियाँ खा लेती। कुछ दिनों बाद जब एक्वेरियम में सारी छोटी मछलियाँ समाप्त हो गईं तो वैज्ञानिकों ने एक्वेरियम के बीच में कांच की एक दीवार लगा दी और दीवार के दूसरी तरफ पहले जैसी ही छोटी मछलियाँ डाल दीं। अब बड़ी पाइक मछली को जब भूख लगती वो छोटी मछलियों की ओर लपकती लेकिन बीच में कांच की दीवार होने के कारण उससे जा टकराती जिससे हर बार उसे चोट लगती। कुछ समय तक तो ये सिलसिला जारी रहा लेकिन बार-बार चोट लगने और छोटी मछलियों तक न पहुँच पाने के कारण बड़ी पाइक मछली ने कांच की दीवार के पार तैरती छोटी मछलियों को खाने की कोशिश करना ही छोड़ दिया। बड़ी पाइक मछली भूख से बुरी तरह व्याकुल थी, लेकिन आगे उसने अपनी भूख मिटाने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं

किया और चुपचाप एक कोने में जाकर ठहर गई। जब वह भूख के कारण अत्यन्त व्याकुल अवस्था में पहुँच गई तो वैज्ञानिकों ने एक्वेरियम के बीच में लगाई गई कांच की दीवार को हटा दिया। अब बड़ी पाइक मछली आसानी से छोटी मछलियों को अपना आहार बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और कुछ दिनों के बाद वह भूख से तड़फ-तड़पकर मर गई। प्रश्न उठता है कि बाद में वहाँ पर्याप्त संख्या में छोटी मछलियाँ होने पर भी बड़ी पाइक मछली ने उन्हें अपना शिकार क्यों नहीं बनाया? वास्तव में पहले अनेक कोशिशों में असफल व घायल होने के कारण बड़ी पाइक मछली ने मान लिया कि अब कोई कोशिश काम नहीं आएगी।

एक नकारात्मक विश्वास के लिए उसकी कंडीशनिंग हो गई और इस नकारात्मक विश्वास ने ही उसकी जान ले ली। जीवन में हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। हम भी भूतकाल के निराशादायक व दुःखद अनुभवों के कारण नकारात्मक विश्वास से ग्रस्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि सफलता अथवा आरोग्य हमारी किस्मत में ही नहीं है अतः प्रयास करना बेकार है। इसी कारण जब सफलता अथवा उन्नति का कोई अवसर हमारे सामने आता भी है तो उसे गुजर जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास हो जाता है कि पिछले अनुभवों के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। पाइक मछली कांच की दीवार को नहीं तोड़ सकती लेकिन हम कांच की दीवार रूपी बाधाओं को आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं। रुकावटों को समझना और उन्हें दूर करना ही वास्तविक सफलता है। कई बार कुछ अवरोध लंबे समय तक बने रह सकते हैं लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि ये अवरोध हटेंगे ही नहीं या इन्हें कभी भी पार नहीं किया जा सकेगा। अवरोध हटने या उन्हें पार करने की संभावना कभी समाप्त नहीं होती।

हमें धैर्य के साथ उनके हटने की प्रतीक्षा करने के साथ-साथ उन्हें पार करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। यदि अत्यधिक विषम परिस्थितियों के कारण हम कुछ अधिक नहीं कर पाते तो उन परिस्थितियों के बदलने पर हमें फौरन सक्रिय हो जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम सतर्क रहकर घटनाक्रम की पूरी जानकारी रखें। लोहा गरम होने तक इंतजार करें और जैसे ही लोहा गरम हो जाए उस पर चोट करें अर्थात् जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल हों हम अपेक्षित प्रतिक्रिया करें। हमारी जो प्रारम्भिक असफलताएँ होती हैं वे असफलताएँ नहीं सफलता के मार्ग के पड़ाव होते हैं। हमारी असफलताएँ ही हमारी सफलता की नींव के पत्थर बनती हैं इसलिए जरूरी है कि असफलता की पीड़ा को भुलाकर हर बार नए सिरे से प्रयास करने का निर्णय लें। व्यवसाय हो अथवा सम्बन्ध या स्वास्थ्य अथवा रोगमुक्ति जीवन के हर क्षेत्र में यही बात लागू होती है। पहले जिन लोगों को टीबी अथवा क्षय रोग हो जाता था उसकी मृत्यु

निश्चित थी लेकिन आज इस बीमारी का उपचार न केवल पूरी तरह से सम्भव हो गया है अपितु सरल भी हो गया है। यदि टीबी अथवा क्षय रोग होने पर हम उस समय का हवाला देकर कहें कि इस रोग का उपचार असंभव था और उपचार न करें अथवा बीच में ही छोड़ दें तो इसके लिए कौन दोषी होगा? हमारा नकारात्मक विश्वास ही इसके लिए उत्तरदायी होगा। कई लोग बड़े जिद्दी होते हैं। उन्हें लाख समझाओ लेकिन कहते रहेंगे कि ये काम तो वे बिल्कुल नहीं कर सकते। ये उनके भूतकाल के निराशादायक व दुःखद अनुभवों के कारण भी हो सकता है। कुछ लोग जीवन में बार-बार धोखा खा चुके होते हैं अतः एक तरह से उनका ये विश्वास ठीक भी है लेकिन है ये पूरी तरह से नकारात्मक विश्वास। इसी नकारात्मक विश्वास के कारण वे अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार नहीं होते और जीवन में अनेक संभावनाओं से वंचित रह जाते हैं। जीवन हमेशा संभावनों से पूर्ण होता है लेकिन तभी जब हम भूतकाल के निराशादायक व दुखद अनुभवों से उत्पन्न नकारात्मक विश्वास को अपने अंदर घर न करने दें। कुछ व्यक्ति जब कोई नया काम करते हैं अथवा कोई नई चीज करना सीखते हैं तो शीघ्र अपेक्षित सफलता न मिलने पर उसे हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। जब हम स्कूटर, कार अथवा अन्य वाहन चलाना सीखते हैं तो शुरू में कई समस्याएं आ खड़ी होती हैं। कई बार वाहन चलाते समय हड़बड़ी में कुछ गलती भी हो जाती है। सही समय पर ब्रेक नहीं लगा पाते अथवा गाड़ी की गति धीमी नहीं कर पाते।

ड्राइविंग सीखते समय छोटी-मोटी दुर्घटना भी स्वाभाविक है। यदि ड्राइविंग सीखते समय कोई छोटी-मोटी दुर्घटना हो जाए तो कई लोग उसी वक्त हाथ खड़े कर देते हैं। उनका तर्क होता है कि उनसे फिर कोई दुर्घटना हो जाएगी। ये उनके नकारात्मक विश्वास के कारण ही होता है।

नकारात्मक विश्वास उत्पन्न करने में कई बार हमारे अपने कटु अनुभव उत्तरदायी होते हैं तो कई बार हमारे आसपास के लोग भी इसके लिए कम उत्तरदायी नहीं होते। जब हम लोगों से बार-बार सुनते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा या ये तुम्हारे करने की चीज नहीं है तो हममें नकारात्मक विश्वास उत्पन्न होने लगता है। नकारात्मक विश्वास के कारण कई बार हम सीखी हुई चीज भी भूल जाते हैं। एक घटना याद आ रही है। एक सज्जन ने अपनी भतीजी को कार चलानी सिखाई। पहले एक प्रसिद्ध ड्राइविंग कालेज से ड्राइविंग सिखलाई और बाद में स्वयं पर्याप्त अभ्यास करवाया। लड़की कार चलाने में बहुत अच्छी हो गई और स्वयं अकेले ड्राइविंग करने लगी लेकिन लड़की के पिता प्रायः कहते थे कि जब हमारे पास कार ही नहीं है तो सीखने का क्या फायदा? या कहते थे कि किसी दिन ठोक दी तो लेने के देने पड़ जाएँगे। कुछ दिनों में ही लड़की के अन्दर इतना नकारात्मक विश्वास उत्पन्न हो गया कि वो गाड़ी को छूने से भी

डरने लगी। जो भी हो हर प्रकार के नकारात्मक विश्वास की कंडीशनिंग से मुक्ति अनिवार्य है क्योंकि इसका जीवन के हर क्षेत्र में बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार जीवन में मिली लगातार असफलताओं के बाद व्यक्ति प्रयास करना ही छोड़ देता है लेकिन तभी अचानक एक दिन उसे बड़ी सफलता मिल जाती है। कई लोग इसे किस्मत से मिली सफलता कहते हैं लेकिन वास्तव में ये पिछले प्रयासों अथवा असफलताओं के अनुभवों के कारण ही संभव हो पाता है। बहरहाल हमें असफलताओं से घबराकर न तो आगे प्रयास करना छोड़ना चाहिए और न ही असफलताओं को दोष देना चाहिए। जब हम किसी शिलाखंड को तोड़ना चाहते हैं तो उस पर जोर से वार करते हैं लेकिन प्रायः पहले वार में पत्थर नहीं टूटता। हम जब तक पत्थर टूट नहीं जाता उस पर हथौड़ा चलाते रहते हैं और इसका कारण है हमारा सकारात्मक विश्वास कि पत्थर अंततः किसी न किसी वार से अवश्य टूट जाएगा। इसलिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक कार्य बीच में छोड़ने की बजाय निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए। परिणाम मिलते अवश्य हैं लेकिन कई बार देर से मिलते हैं। हमें अपेक्षित परिणाम अथवा सफलता मिलने तक धैर्य के साथ अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए असंभव शब्द को मन रूपी शब्दकोश से डिलीट करना अनिवार्य है। नकारात्मक विश्वास से मुक्ति के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यदि दुनिया में कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो हम भी उसे अवश्य कर सकते हैं। नकारात्मक विश्वास से बचने के लिए किसी भी कार्य को सीखने के लिए पर्याप्त अभ्यास करें, कार्य को पूरे मन से करें व मन में पूर्ण विश्वास रखें कि मैं कर सकता हूँ। मैं भी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ।

संस्कृति की वाहक होती है भाषा

किशोर डी. पारधी
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

सामान्यत: संस्कृति संस्कारो की योजना हैं। मानव की सर्जनात्मक बुद्धि धीरे-धीरे विकसीत होती हैं। विभिन्न कोटि की अनेक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। मानव मन की यह सर्जनशीलता ही संस्कृति का मूल माना जाता हैं। संस्कृति परिष्कार और परिशोधन का भाव भी व्यक्त करती हैं। संस्कृति जीवन का संस्कार है जिससे मानव की पाशविक प्रवृत्तियों का परिमार्जन तथा स्वार्थ का परित्याग होता हैं।

संस्कृति एवं भाषा संप्रेषण के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। संस्कृति का निर्माण ही संचार द्वारा होता हैं। संचार ही मनुष्यों के बीच सम्प्रेषण का माध्यम है, जिससे सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, रीति-रिवाज, नियम, कर्मकांड आदि निर्मित होते हैं और परस्पर आबंटित किए जाते हैं। भाषा संप्रेषण के माध्यम के बगैर सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को लंबे अरसे तक संरक्षित कर पाना असंभव हैं।

भाषा संस्कृति की वाहक होती हैं। भाषा से हमारे विचार, वेश-भूषा सभी प्रभावित होते हैं। विशेषत: हिन्दी भाषा में दूसरो को प्रभावित करने की जो शक्ति है वह अन्य किसी भाषा में नहीं है। विदेशों में आयोजित होने वाले विश्व हिन्दी सम्मेलन हिन्दी भाषा के लिए गौरव की बात है क्योंकि हिन्दी हमारी संस्कृति, आस्था व एकता की पहचान है। हिन्दी को किसी क्षेत्र, मजहब या जाति से जोड़ना उसका अपमान करना है। हिन्दी तो सारे राष्ट्र की भाषा है। वह एकता की कड़ी है। उसके लिए जबरदस्त आंदोलन की आवश्यकता है। भारतीय बच्चों को सांस्कृतिक और बौध्दिक दृष्टि से विकलांग बनाने के अंग्रेजी के इस षड्यंत्र के विरूध्द जन आंदोलन बेहद जरुरी हैं। मगर देश में नीति निर्माण का सारा बुनियादी काम अंग्रेजी में होता हैं।

विश्व हिन्दी सम्मेलनों का वही पौराणिक हश्र न हो जाए जिसमें अगस्त्य मुनि ने विन्ध्य से कहा था कि मै जब तक लौटकर न आ जाऊँ तब तक तुम ऐसे ही झुके रहना। विन्ध्य ने बात मान ली, तो आज तक वह झुका ही खडा है। न मुनि लौटे न विन्ध्य अपना मस्तक ऊंचा कर सका। हिन्दी के संदर्भ में भी वे पन्द्रह वर्ष आज तक न आ सके जिसके अनुसार आजादी के

बाद डॉ रघुवीर और टंडन जैसे सरल स्वभाव हिन्दी के दिग्गज, पक्षपातियों की अनुनय-विनय करने के लिए हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए पन्द्रह वर्ष का समय मांगा था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई भी हिन्दी के प्रखर वक्ता के रुप में अपनी पहचान बना चुके थे। पद संभालने के पश्चात यदा-कदा ही उन्हें हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी बोलना पड़ता था, किन्तु यह उनकी विवशता थी और इसे वे खुद भी अनुभव करते थे। उन्होने तो स्पष्ट कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में या देश के बाहर हिन्दी में बोलना सहज हैं, जबकि स्वदेश में हिन्दी में बोलने पर अनेक आपत्तियां की जाती हैं। अमेरीकन राष्ट्रपति का परामर्श था कि वे वहा अपना भाषण हिन्दी में दें। बाजपेई ने उनके परामर्श को स्वीकार किया और हिन्दी में ही बोले।

महात्मा गांधी यद्यपि अहिन्दी भाषी थे परंतु एक दूरदृष्टा होने के कारण उन्होने यह जान लिया था कि इस राष्ट्र का कल्याण तभी हो सकता है जबकि इसकी राष्ट्रभाषा हिन्दी हो।

गांधी जी ने भाषा के प्रश्न को स्वदेश की गौरव-गरीमा और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के रुप स्वीकारा था और हिन्दी को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया था। उनका कथन था 'अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों को और उन्ही के लिए होने वाला हो तो निस्संदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी लेकिन अगर स्वराज्य करोडो निरक्षरों, निरक्षर बहनों और दलितों का हो और इन सबका होने वाला हो, तो हिन्दी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती हैं। अत: हिन्दी को चाहिए कि वह अपने दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें जिस हद तक हिन्दी का भंडार व उसकी उपयोगिता बढ़ेगी उस हद तक अधिक से अधिक लोग हिन्दी सीखना चाहेंगे।

वास्तव में शासक वर्ग में वे ही लोग है जो न केवल स्वयं अंग्रेजी शिक्षा की उपज है, वरन् रहन-सहन, ह्रदय और मस्तिष्क सभी में अंग्रेजी का मोह कूट-कूट कर भरा है। अंग्रेजी का प्रभाव हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रदूषित कर रहा है।

दृढ़ राजनीतिक संकल्प शक्ति से काम लेकर मात्र एक हल्के से झटके से उनका सुधार हो सकता है। यदि हम अब भी नही संभलेंगे, अपनी राष्ट्रीय स्तर की गलतियों को प्रयत्न करके सुधारने का प्रयास नही करेंगे, तो फिर कभी भी नही कर पायेंगे। भविष्य हमारी पीढ़ियों क माथा पकड़-पकड़ कर कोसेगा, पर तब कुछ भी कर पाना कठिन हो जाएगा। अत: अभी भी संभल जाने की आवश्यकता है।

राजभाषा और डॉ. अंबेडकर

पुखराज नेणिवाल
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

वर्तमान भारत में भाषा के माध्यम से अपनी जातीय दावेदारी को सिद्ध करने की वृति चरम पर है। दावेदारी के इस रूप की आक्रामकता एक ओर हिन्दी बनाम उसकी अन्य भारतीय भाषाओं के रूप में सामने आ रही है तो दूसरी ओर हिन्दी बनाम उसकी अन्य जनपदीय भाषाओं - बोलियों के टकराव के रूप में दिखाई पड़ रही है। भाषाएँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से किसी क्षेत्र या अंचल विशेष की अस्मिता को एक ऐसा राजनीतिक रुप दे देती है कि अन्य भाषाई क्षेत्र घृणा या फिर विरोध की प्रतिकात्मक छवियों में सीमाबद्ध होने लगते हैं।

आज़ाद भारत में साम्राज्यवादी अनुभवों से सहमति और असहमति के अंतर्संघर्ष ने भारत को भयंकर रूप से भाषाई पर-निर्भरता की ओर धकेला है। यही कारण है कि हम एक सुदृढ़ भाषाई नीति को बनाने की अपेक्षा उसके विभेदक स्वरूप को तलाशने और पाने में लगे हैं। प्रारम्भ में यदि अभिजात्य राजनीति ने अंग्रेजी भाषा की सत्ता को स्वीकारने में अधिक रुचि दिखाई तो बाद में क्षेत्रीय राजनीति के उभार ने भाषाई दांव-पेंच को केवल भावनात्मक आधार तक सीमित कर दिया। प्रशासन के निचले स्तर में यद्यपि राजभाषाएं उपयोग में लाई जाती रहीं लेकिन जहां तक ज्ञान, सम्मान और प्रशासन का मामला है, राजभाषाएं अपने औचित्य को प्रमाणित नहीं कर पाई है। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि भारतीय भाषाएं उक्त दृष्टि से कमजोर हैं। कोई भी भाषा अपने संरचनात्मक रूप से कमजोर अथवा मजबूत नहीं होती। वह नई परिस्थितियों, नई चुनौतियों के अनुरूप नए सिरे से गढ़ी जाकर अपने औचित्य को प्रमाणित करती हैं। इसके लिए शासक वर्ग के भीतर भाषाई दूरदर्शिता का होना निहायत जरूरी है।

भारत के संविधान के निर्माण में जिन विषयों पर सबसे ज्यादा बहस हुई उनमें से एक भाषावार प्रान्तों का निर्माण था। इसकी मुख्य वजह आज़ादी के आंदोलन के दौरान भाषाई चेतना का विकास था। कॉंग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बकायदा यह वादा किया था कि आज़ादी के पश्चात प्रान्तों का पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन समस्या की गम्भीरता को देखते हुए वह लगातार इससे बचती रही, जब तक कि पृथक आन्ध्र के लिए श्रीरामुलु ने अपने प्राणों की आहुति नहीं दे दी। लेकिन तब तक भाषाई विवाद बहुत विस्फोटक रूप ले चुका था। स्वतंत्र भारत का पहला दशक

भारत के पुनर्निर्माण के साथ-साथ भाषाई विवाद के दशक के रूप में भी जाना जाता है। इस दशक में भाषाई विवाद के दो पक्ष थे -एक, भाषावार प्रान्तों का गठन और दूसरा, राजभाषा के रुप में हिन्दी पर विचार।

वस्तुतः उक्त दोनों पक्ष एक ही मुद्दे के दो पहलू हैं जो ऊपरी तौर पर दो भिन्न मुद्दे लगते हैं। जिन लोगों ने भाषावार प्रांत-रचना की दिशा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, वे लोग समूचे देश की राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपनाने के पक्ष में नहीं थे। राष्ट्रीय राजनीति आज़ादी के बाद उत्पन्न समस्याओं के निपटारे में इतनी उलझी हुई थी कि उसने भाषाई अलगाववाद को महत्व नहीं देने का फैंसला किया। स्वयं महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू तक भाषाई मुद्दे को टालना चाहते थे। लेकिन समूचे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भाषाई राष्ट्र इतने प्रबल और ताकतवर हो चुके थे कि वे आज़ादी के बाद किसी भी रूप में इस मुद्दे का निपटारा चाहते थे। इसका एक कारण यह भी था कि ऐसा न करने पर उनकी क्षेत्रीय विश्वसनीयता संदेह के दायरे में आ जाती। भाषाई विवाद के निपटारे की दिशा में गठित जे.वी.पी. समिति, जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया थे, ने पुनर्गठन संबंधी अपना मत कुछ इस प्रकार दिया- भाषा महज एक जोड़ने वाली शक्ति ही नहीं बल्कि एक दूसरे से अलग करने वाली ताकत भी हैं।

इस परिस्थिति में यदि डॉ. अंबेडकर के भाषा संबंधी विचारों को देखें तो पता चलता है कि वे अपने समकालीन राजनीतिज्ञों से विचार, संवेदना और दूरदृष्टि के लिहाज से कहीं आगे थे।

आजादी के बाद राजनीतिक स्तर पर भाषाई विवाद का मसला संविधान सभा की बहस से शुरू हुआ। संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर थे, ने जब अथक परिश्रम के बाद अपना संविधान प्रारूप, संविधान सभा के सामने रखा। तब बहस से पूर्व ही सेठ गोविंद दास, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अलगूराय शास्त्री, आरवी धुलेकर, सुरेश चन्द्र मजूमदार ने विधान की भाषा पर सवाल उठाया। और विशेषकर उक्त में से प्रथम तीन ने भाषा यानि राष्ट्रभाषा के सवाल पर सबसे पहले बहस करने की मांग की। यद्यपि राजभाषा पर बहस पहले से ही 99वें क्रम में निर्धारित थी। इस मांग को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद ने यह कहकर खारिज़ कर दिया कि इससे भाषाई कटुता में वृद्धि होगी और महत्वपूर्ण मुद्दों का उचित तरीके से निपटारा नहीं हो सकेगा। अलगूराय शास्त्री ने संविधान की भाषा की तीखी आलोचना करते हुए कहा था - एक ऐसा देश जिसकी अपनी भाषा है, वह एक विदेशी भाषा में अपना पहला, स्वतन्त्रता का विधान बनाए, यह एक बहुत ही लज्जाजनक बात होगी। यह बहस 04 नवंबर 1948 को संविधान सभा में हुई थी।

डॉ. अंबेडकर राजभाषा विवाद के मसले पर सीधे हिन्दी का पक्ष लेने वालों के साथ नहीं थे। उन्होनें भाषावार रूप से प्रान्तों के गठन के संदर्भ में आनुषांगिक रूप से राजभाषा हिन्दी पर अपने विचार रखे। 1948 में उन्होनें भाषावार प्रांत आयोग के समक्ष महाराष्ट्र के संबंध में अपना वक्तव्य

दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा - भाषावार प्रान्तों के पुनर्गठन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के बाद भी ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि भारत की एकता खंडित न होने पाये। इसलिए इस समस्या के समाधान हेतु मेरा सुझाव है कि भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लेने पर भी ऐसी संवैधानिक व्यवस्था हो कि केंद्र सरकार की जो राजभाषा हो, वही भाषा सभी प्रान्तों की राजभाषा मानी जाय। केवल इसी आधार पर मैं भाषावार प्रान्तों की मांग मानने को तैयार हूँ। यहाँ स्पष्ट है कि डॉ अंबेडकर राजभाषा के मसले को राष्ट्रीय अखंडता से जोड़कर देख रहे थे। समूचे आज़ादी के आंदोलन के दौरान यद्यपि जनता को एकजुट करने के लिए हिन्दी का बहुत प्रचार किया गया लेकिन आज़ादी के बाद उसे अम्ल में नहीं लाया गया बल्कि भाषावार प्रान्त रचना की नीति ने भाषाई अलगाव को अत्यंत तीखा कर दिया था। डॉ अंबेडकर इस आने वाले खतरे को स्पष्ट देख रहे थे इसलिए उन्होंने आगे कहा -भाषावार प्रान्तों की योजना में वहाँ की भाषा की भूमिका अनिवार्यतः महत्वपूर्ण है किन्तु यह भूमिका प्रांत के निर्माण तक ही सीमित रखी जा सकती है अर्थात इसका उपयोग उस प्रांत की सीमाओं के रेखांकन तक ही किया जाना चाहिए। भाषावार प्रान्तों की योजना में ऐसी कोई दो-टूक अनिवार्यता नहीं है जो हमारे लिए उस प्रांतीय भाषा को वहाँ की राजभाषा भी बनाने के लिए बाध्यकारी हो। प्रान्तों कि भाषा को वहाँ की राजभाषा के रुप में स्वीकृत करने का सीधा अर्थ उनकी नजर में प्रान्तों को स्वतंत्र राष्ट्र के रुप में विकसित होने का न्योता देने जैसा था।

आयोग के समक्ष प्रस्तुत वक्तव्य में यह स्पष्टतः दिखाई पड़ता है कि डॉ अंबेडकर भाषावाद के घोर विरोधी थे और भाषा को समूचे राष्ट्र को जोड़ने के महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में देखते थे। इस संबंध में उनकी राय लोकप्रिय राजनीति से सर्वथा भिन्न थी। अपनी राय को और अधिक स्पष्टता से लोगों के सामने रखने के लिए उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में 23 अप्रेल 1953 को लेख लिखकर अपनी राय रखी। उक्त लेख में भी उन्होंने कहा कि भाषावार प्रांत रचना का कारण और इतिहास चाहे जो रहा हो, उसका निपटारा वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

यहाँ तक के विश्लेषण से यह साफ दिखाई पड़ता है कि डॉ. अंबेडकर त्रिभाषी सूत्र के समर्थक नहीं थे। राजभाषा के संबंध में हिन्दी का समर्थन उन्होंने 1955 में प्रकाशित अपनी पुस्तिका में किया। यह पुस्तक भी वस्तुतः भाषावार प्रान्तों के गठन में उपजी समस्याओं पर केन्द्रित थी लेकिन इसमें उन्होंने दो बातें स्पष्ट तौर पर कही। पहली, भारत जैसे बहुभाषी राज्य को'एक राज्य एक भाषा'के सूत्र पर विश्वास करना चाहिए और दूसरी, यह भाषा हिन्दी के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा हो ही नहीं सकती। उन्होंने उन्नत देशों का हवाला देते हुए कहा कि एक राज्य एक भाषा विकास का सूत्र है। बहुभाषी राष्ट्र की संकल्पना अंततः विघटन की ओर ले जाती है। मिश्रित भाषावार राज्यों के खतरों का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस खतरे से तभी निपटा जा सकता है, जब संविधान में क्षेत्रीय भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा

नहीं होगी। राज्य की राजभाषा हिन्दी रहेगी और जब तक भारत इस प्रयोजन के योग्य नहीं हो जाता, अंग्रेज़ी बनी रहेगी।

यहाँ यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि सन 1952 में आंध्र प्रदेश को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर श्रीरामुलु के आत्मदाह के पश्चात राजभाषा और प्रान्तों के गठन का मुद्दा अत्यन्त संवेदनशील बन चुका था। ऐसे में लोकप्रिय राजनीति के दबाव में आकर जहां बड़े-बड़े राजनेता समर्पण करते हुए से दिखाई देते हैं, वहीं राजभाषा के मुद्दे पर डॉ अंबेडकर अत्यंत साहस के साथ अपना पक्ष रखते हैं और क्षेत्रीयता के आगे समर्पण नहीं करते। वे भाषाई मुद्दे को भावनात्मक अधिकार की तरह नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र और कर्तव्य के रूप में परिभाषित करते हैं - भाषा संस्कृति की संजीवनी होती है। चूंकि भारतवासी एकता चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करने के इच्छुक हैं इसलिए सभी भारतीयों का यह परम कर्तव्य है कि वे हिन्दी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। कोई भी भारतीय, जो इस प्रस्ताव को भाषावार राज्य के अभिन्न अंग के रुप में स्वीकार नहीं करता, भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता।

आजादी के बाद के पहले दशक में ही जिस प्रतिस्पर्धामूलक और अलगाववादी भाषाई राजनीति का आरंभ हो रहा था, डॉ. अंबेडकर उसके भविष्य को ठीक-ठीक समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने'एक भाषा एक राज्य'के स्थान पर'एक राज्य एक भाषा'का समर्थन किया। वे किसी भी रुप में ऐसे प्रांतवाद का समर्थन नहीं करते जो राष्ट्रीयता के समक्ष अपनी स्वतंत्र और अलहदा पहचान की दावेदारी पेश करे। कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता उनके लिए कोई भावनात्मक मामला नहीं था बल्कि विशुद्ध व्यावहारिक मामला था। इसे वे किसी भी लोकतन्त्र की सफलता का अनिवार्य पक्ष मानते थे। इसलिए उन्होने कहा - यदि राज्य में रहने वाले लोगों में भ्रातत्व भावना का अभाव हो तो लोकतन्त्र बिना संघर्ष के चल ही नहीं सकता। नेतृत्व के दो दलों में लड़ाईझगड़े और प्रशासन में भेदभाव का व्यवहार, ये दो तत्व किसी भी मिश्रित भाषावार (द्विभाषी) में सदा बने रहते हैं और उनका लोकतन्त्र के साथ निर्वाह नहीं हो सकता।

कैरियर की सफलता का मूलमंत्र

संजय डोंगरे
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, हिंगणा, नागपुर

बहुत से कैरियर की दृष्टि से बनना कुछ और चाहते हैं लेकिन बन जाते हैं कुछ और। उनकी सहज प्रवृत्ति किसी क्षेत्र विशेष के प्रति होती है, परंतु अभिभावकों के दबाव के कारण वे अपनी रुचि के प्रतिकूल क्षेत्र में चले जाते हैं। इस कारण उनका पूरा जीवन तनाव से भर जाता है, यह एक गंभीर चिंतन का विषय है कि क्या मात्र धन के पीछे भागना ही जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य है या फिर इसका अन्य कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

अनेक लोग मात्र इसलिए किसी रोजगार को अपना लेते है कि उसमें कमाई अच्छी हैं। कुछ वर्ष पहले तक डॉक्टर या इंजीनियर बनने के पीछे यही भावना रहती थी कि इस क्षेत्र में खुब धन कमाया जा सकता है। लेकिन आज वह पहले वाली स्थिति नहीं है। अनेक डॉक्टर या इंजीनियर अपने पेशे को मात्र ढोने वाले ही सिध्द हुए हैं। नहीं तो क्या कारण है कि अधिकांश डॉक्टरों या इंजीनियरों ने अपने - अपने क्षेत्र में कोई नया आविष्कार नहीं किया, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं की। इसका मूल कारण यही है कि उनकी अपने पेशे के प्रति सहज प्रवृत्ति नहीं थी।

विदेशों में प्रारंभिक शिक्षा के बाद बच्चे की सहज प्रवृत्ति के अनुकूल ही उसकी आगे के अध्ययन का क्षेत्र तय किया जाता है। इस संबंध में बच्चे के संरक्षक या अभिभावक भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यही वजह है कि पाश्चात्य देशों में ही अधिकतर वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं। चीन और जापान जैसे देशों ने बच्चों की सहज प्रवृत्ति के अनुकूल उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में विकसीत देशों को भी मात दे दी है। आज हालात यह है कि विश्व के बाजार चीनी और जापानी इलेक्ट्रॉनिक सामान से सटे पड़े हैं।

हाल ही के वर्षों में रोजगार के नए- नए अवसर पैदा हुए हैं और हो रहे हैं। आर्थिक उपलब्धि के दृष्टि से देखा जाए तो सी.ए., सी.एस., एम.बी.ए., होटल प्रबंधन, मार्केटिंग ऐक्जीक्यूटिव, फार्मसी, एअर लाइंस, सूचना तक्नीकी का क्षेत्र, मिडीया, कम्प्यूटर एवं आर्मी जैसे के पेशे के प्रति युवाओं का रुझान अधिक बढ़ रहा है। केंद्र या राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकारी के प्रति अब वह आकर्षण नहीं रह गया है क्योंकि इनमें तनाव अधिक रहता है। दूसरे इनमें ईमानदार रहने से आर्थिक संपन्नता नहीं आ सकती जितना कि गलत तरीकों के अपनाने से, यहां

भी यही स्थिति है कि सहज प्रवृत्ति न होने से अनेक सरकारी अधिकारी असफल ही सिध्द होते हैं। मात्र ऐसे पदों के रुतबों को देखकर ही वे इस क्षेत्र में आ जाते हैं।

संगीत, साहित्य, कला, विज्ञान आदि के प्रति जिनकी सहज प्रवृत्ति थी उन लोगों ने इन क्षेत्रों में धन एवं यश दोनों प्राप्त किया है। कुछ वर्ष पहले भारत में लेखन, साहित्य, गायन, खेल आदि क्षेत्रों को अपने कैरियर के रुप में अपनाने को जोखिम से भरा समझा जाता था। परंतु आज स्थिति यह है कि उपर्युक्त क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आर्थिक दृष्टि से काफी सफल हैं। प्रचार माध्यमों में आज एक नई क्रांति करवट ले रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया दोनों में ही जबरदस्त संभावनाएं पैदा हो रही है।

हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है कमी है तो उनको उभरने वाले अवसरों एवं प्रोत्साहनों की, यदि हम जिसकी जिस क्षेत्र में रुचि है उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर सकें तो एक प्रतिभा विकसीत हो सकती हैं।

यह कहा जा सकता है कि सहज प्रवृत्ति के अनुकूल स्थितियां न मिल सके तो क्या किया जाए परंतु यदि लगातार प्रयास किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति सदैव के लिए नहीं रह सकती है। परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते जाएं अपनी रुचि को मंद न पड़ने दिया जाए, अपनी रुचि के कार्य को करते समय कोई भी व्यक्ति न तो बोर महसूस करता है और न ही अपने पर किसी प्रकार के दबाव का ही उसको ख्याल आता है। लंबे समय तक उस कार्य को करते हुए भी वह उसके प्रति अरुचि का अनुभव महसूस नहीं करता। अत: स्वाभाविक रुप से वह उस क्षेत्र विशेष में सफलता प्राप्त करके ही रहता है।

अत: सभी को अपनी सहज प्रवृत्ति को पहचानकर उसके अनुकूल अपने कैरियर का चयन करना चाहिए। दूसरों की देखादेखी किसी और कैरियर को न अपनाएं।

हिंदी के समक्ष चुनौतियां - एक दृष्टि

असीम कुमार
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, इतिहास, धर्म और परंपरा की पहचान भी है। हिंदी के बगैर आज न तो भारतीय साहित्य का कोई अर्थ है और न ही राष्ट्रीय संस्कृति का ही कोई स्वरूप है। आज भारत ही नहीं, समूचे विश्व में हिंदी ने अपनी पहचान बनाई है और करवट ले रही दुनिया की जरूरत बनते जा रही है। फिर भी, जब हम थोड़ी गहराई में जाते हैं तो हमें हिंदी की वास्तविक स्थिति का अहसास होता है। हम पाते हैं कि अखिल भारतीय भाषा के रूप में हिंदी के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जो इसके चहुँमुखी विकास में बाधक बन रही है।

स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी राजभाषा तो बनी, परन्तु उसे लगातार अंग्रेजी के प्रभुत्व और दूसरी भारतीय भाषाओं की ईर्ष्या का सामना करना पड़ा। हमारे संविधान निर्माताओं की हिंदी प्रेम के बावजूद अंग्रेजी का रूतबा बना रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा के प्रश्न की जटिलता उनकी समझ में नहीं आई। और तो और, बाद के वर्षों में भाषा के प्रश्न पर जितने भी आंदोलन हुए और उन पर जो राजनीति की गई, इससे ऐसा लगता है कि भाषा के सवाल को गंभीरता से नहीं लिया गया तथा इसे अधूरे मन से हल करने की कोशिश की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी के वर्चस्व को और मजबूती मिली तथा हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं के बीच अपनत्व और सम्मान का जो रिश्ता बन सकता था, उनके बीच दूरी बढ़ी।

हिंदी के समक्ष चुनौतियां बहुस्तरीय है। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि वह अंग्रेजी के वर्चस्व और प्रभाव तथा एक हद तक उसके आतंक से मुक्त कैसे हो। हिंदी के लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह रही कि वह अंग्रेजी के मुकाबले शिक्षा और रोजगार की भाषा नहीं बन पाई। आज आधुनिक शिक्षा- चाहे विज्ञान, चिकित्सा या वाणिज्य की हो, अंग्रेजी माध्यम से ही दी जाती रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि रोजगार भी अंग्रेजी से ही जुड़ गया। शिक्षा को हिंदी से जोड़ने की या तो गंभीर कोशिश नहीं हुई अथवा हुई भी होगी तो प्रभावी नहीं हो सकी।

यह सर्वविदित है कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं है, अपितु यह संस्कारों के निर्माण और विस्तार के माध्यम के साथ- साथ संस्कृति की वाहक भी है। परन्तु शिक्षा और रोजगार से न जुड़ पाने के कारण हिंदी असहाय तो हो ही गई है, साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी दरिद्र होती जा रही है। आज हाल तो यह है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी के प्रति उपेक्षा का भाव गहरा हुआ है।

हिंदी के समक्ष दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि वह किस तरह अपने को अन्य भारतीय भाषाओं, जैसे- तमिल, बांग्ला, मलयालम, मराठी, तेलुगू, कन्नड़ भाषा- भाषियों के बीच स्वीकार्य बनाए। अन्य भारतीय भाषा- भाषी लोग आज हिंदी को अपनी संस्कृति पर थोपे जाने की तरह देख रहे हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें अंग्रेजी का कवच ज्यादा सुरक्षित लगता है। देश की राजनीति ने जो ज़हर बिखेरा है, उससे निश्चित रूप से भाषा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

हिंदीत्तर भाषी प्रदेशों में हिंदी को लेकर जो विद्वेष भाव दिखता है, उससे हिंदी का अखिल भारतीय चेहरा बुरी तरह घायल हुआ है। दूसरी भाषाओं की स्वीकार्यता ही हिंदी को उसकी गरिमा दिला सकती है। हिंदी का प्रचार- प्रसार न अंग्रेजी के विरोध से संभव है और न ही दूसरी भारतीय भाषाओं को अनदेखा करने से। हिंदी को हिंदीतर भाषी क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रीय भाषिक चेतना और एक दृढ़ राजनीतिक संकल्प की जरूरत है। यह बड़ा ही सामयिक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी का दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ आत्मीय और स्वस्थ रिश्ता कैसे बने।

पोस्टकार्ड की आत्मकथा

पप्पू गुप्ता
कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

पोस्टकार्ड का आविष्कार आस्ट्रिया में 1869 को हुआ था। भारत में पहली बार 1 जुलाई 1879 को पोस्टकार्ड जारी किए गए। जबसे पोस्टकार्डों का प्रचलन हुआ है, तभी से जनता के पत्र - व्यवहार का माध्यम ये पोस्टकार्ड रहे हैं। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ये काफी लोकप्रिय रहे हैं पर आज की स्थिति बदल चुकी है जिसका वर्णन नीचे किया गया है।

मेरे प्यारे दोस्त, देखो मैं यही कूड़े की टोकरी में पड़ा अपने भाग्य को कोस रहा हूँ। अब मेरी कोई भी परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरी जरूरत समाप्त हो गई है। अब मुझे आने वाली मुसीबतों से भी बड़ा डर लग रहा है।

शायद मेरे बदन के टुकड़े-टुकड़े करके नाले में फेंक दिए जाये या फिर आग में जला कर मुझे भस्म कर दिया जाये, लेकिन पूरी तरह नष्ट होने से पहले मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना देना चाहता हूँ। अरे तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा चिरपरिचित दोस्त पोस्टकार्ड हूँ।

मेरा जन्म कागज के एक बड़े कारखाने में कई वर्ष पहले हुआ था। मेरा आकार तब बहुत बड़ा था। सरकार के कर्मचारियों ने मुझे ट्रक में लादकर एक सरकारी छापाखाने में पहुंचा दिया। कई महीनों तक मुझे एक अंधेरे गोदाम में बंद रखा गया। एक दिन गोदाम का दरवाजा खुला। रोशनी की किरणे देख मुझे बड़ा हर्ष हुआ। अब मुझे बड़ीबड़ी मशीनों से गुजरना पड़ा, जहाँ हमारी कटाई-छंटाई हुई। इसके बाद मुझ पर छपाई की गई। तीन सिंहों वाले सरकारी चित्र को अंकित करके मेरी पीठ पर हिन्दी और अंग्रेजी में 'केवल पता' छापा गया और पते के लिए तीन लाइनें थीं। पिन कोड के लिए अलग-से छोटी लाइन थी। मेरी पीठ के ठीक बीच में एक सीधी रेखा भी छापी गई। छापाखाने से निकालने पर एक अन्य अधिकारी ने जाँच की और फिर कागज की पट्टी से मुझे लपेट कर अलग रख दिया गया।

कई महीनों तक मैं में बन्द रहा। एक दिन कई बण्डलों को निकाल कर एक बड़े ट्रंक में गिन कर बन्द कर दिया गया। उनमें से एक मैं भी था। ट्रंक रेल की यात्रा करके चेन्नई पहुंचा। वहीं के बड़े डाक घर में फिर हम सबको ट्रंक से निकाल कर गिना गया और एक लोहे की अल्मारी में बन्द कर दिया गया।

एक दिन मैं भी निकाला गया और डाकखाने के टिकट बेचने वाले को सौंप दिया गया। उसने बड़े प्रेम से हम सबको गिना और धूल आदि झाड कर अपने छोटे से बक्से में रख लिया। काउन्टर पर ग्राहक आते और मेरे साथियों को लेकर चले जाते। उसी दिन तीसरे पहर एक ग्राहक आया और उसने पचास पैसे दिये और मुझे उस ग्राहक के हाथ में पकड़ा दिया ।मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति मेरा क्या करेगा हाथ में मुझे लिए वह व्यक्ति एक दुकान पर पहुँचा और उसने मुझे दुकान के मालिक को सौंप दिया।

दुकानदार ने एक कलम लेकर मेरी छाती पर कुछ लिखा और पलट कर उस पर पता लिख दिया। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे चेन्नई से दिल्ली जाना पडेगा। इतनी दूर की यात्रा मैं तुच्छ-सी वस्तु कैसे कर पाऊँगा। मैं इसी पशोपश में था कि उसने फिर उसी व्यक्ति को मुझे पकड़ा दिया और लैटर बॉक्स में डाल दिया, जो लाल रंग से पुता हुआ था।

यही अपने साथियों को देखकर मैं बड़ा हर्षित हुआ । जब मैंने उनसे हाल-चाल पूछा तो ज्ञात हुआ कि वे विभिन्न शहरों में जाने वाले थे। दिल्ली जाने वाले कुछ साथियों से मिलकर मेरा डर निकल गया। कुछ देर बाद एक आदमी ने वह बक्सा खोला और हम सबको एक थैले में भरकर स्टेशन ले आया। वही हम सबको गंतव्य स्थानों के अनुसार अलग-अलग थैलों मे बन्द कर दिया गया। मैं जिस थैले में था उसमें सभी यात्री दिल्ली जाने वाले थे। कुछ देर बाद मुझे रेल के डिब्बे में सवार करवा दिया गया और दो दिन के बाद मैं दिल्ली पहुंच गया।

दिल्ली पहुंचकर कई बार छंटाई हुई और अन्त में एक डाकियें के हाथ मुझे सौंप दिया गया। डाकिये ने लाकर मुझे उस व्यक्ति को सौंप दिया, जिसका मुझ पर नाम लिखा था। वह व्यक्ति मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ। मुझे लगा कि अब मेरे दिन फिर गए हैं और मैं यही आराम की जिन्दगी बिताऊंगा।

मुझ पर लिखे सन्देश को पढकर सारा परिवार बडा प्रसन्न हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे एक बेकार की वस्तु की भांति कमरे के एक कोने में पटक दिया गया। मुझ पर धूल पडती रही और किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। प्रातःकाल झाडू से झाड़ कर मुझे कचरे की टोकरी में डाल दिया गया। मेरा उपयोग शायद अब समाप्त हो गया था। तब से मैं यहीं पड़ा अपने भाग्य पर रो रहा हूँ।

क्रोध - भगवद गीता एक दृष्टिकोण

गौरव शर्मा
उप खनिज अर्थशास्त्री
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

क्रोध व्यक्तित्व के पतन का कारण है। मेरी राय में गीता के श्लोकों में भगवान ने जो कहा है उससे बेहतर क्रोध का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। मेरे दृष्टिकोण से भगवद गीता इसके बारे में क्या कहती है:

"जब कोई व्यक्ति वस्तुओं व विषय के बारे में सोचता है, तो विषय के प्रति आशक्ति पैदा होती है; आशक्तियों से इच्छा पैदा होती है; असंतुष्ट इच्छा से क्रोध बढ़ता है; **क्रोध से आता है भ्रम**; भ्रम से स्मृति हानि होती है; स्मृति की हानि से **बुद्धि का विनाश**; **बुद्धि के विनाश से मनुष्य का नाश होता है** "

भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 62

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते |
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते || 62||

भावार्थ : इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करते समय उनमें आशक्ति उत्पन्न हो जाती है। आशक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है

वैदिक शास्त्रों में क्रोध, लोभ, वासना आदि को मानस रोग या मन के रोग के रूप में माना गया है। रामायण में कहा गया है: मानस रोग कछुका मैं गाए है सबा के लखी बिरलेन्हा पा [व53] हम सभी शरीर के रोगों से अवगत हैं - एक भी शारीरिक बीमारी में पूरे दिन को दुखी करने की शक्ति है - लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है हम लगातार कई मानसिक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। और चूंकि हम काम, क्रोध, लोभ आदि को मानसिक रोगों के रूप में नहीं पहचानते हैं, इसलिए हम उन्हें ठीक करने का प्रयास नहीं करते हैं। मनोविज्ञान मानव ज्ञान की एक शाखा है जो इन बीमारियों का विश्लेषण करने और उनके समाधान का प्रस्ताव करने का प्रयास करती है। हालाँकि, पश्चिमी मनोविज्ञान द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण और समाधान दोनों ही मन की वास्तविकता के निकट प्रतीत नहीं होते हैं।

इस और उसके बाद के श्लोक में, श्री कृष्ण ने मन की कार्यप्रणाली में परिपूर्ण और मर्मज्ञ अंतर्दृष्टि दी है। वह बताते हैं कि जब हम बार-बार यह सोचते हैं कि किसी वस्तु में सुख है तो मन

उससे जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, एक कक्षा में कई लड़के और लड़कियां हैं, और वे एक दूसरे के साथ सहज रूप से बातचीत करते हैं। एक दिन एक लड़का एक लड़की के बारे में कुछ नोटिस करता है और सोचने लगता है, "अगर वह मेरी होती तो मुझे बहुत खुशी होती" जैसे-जैसे वह इस विचार को अपने मन में बार-बार दोहराता है, उसका मन उससे जुड़ जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि वह उसके प्यार में पागल है, और वह पढ़ाई करने में असमर्थ है क्योंकि उसका मन बार-बार उसके पास जाता है। उसके दोस्त उसका उपहास उड़ाते हैं कि वे सभी उसके साथ कक्षा में बातचीत करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसका दीवाना नहीं है। उसकी वजह से उसकी नींद क्यों खराब हो रही है और उसकी पढ़ाई क्यों खराब हो रही है? तथ्य यह है कि वह बार-बार सोचता था कि लड़की में खुशी है, और इसलिए उसका मन उससे जुड़ गया।

अब लगाव अपने आप में काफी सहज लगता है। लेकिन समस्या यह है कि आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। अगर किसी को शराब से लगाव हो जाता है, तो उसके मन में बार-बार पीने की इच्छा आती है। अगर कोई सिगरेट से जुड़ा हुआ है तो उसके मन में बार-बार सिगरेट पीने के आनंद के विचार आते हैं, जो उसके लिए तरस पैदा करते हैं। इस प्रकार आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है।

एक बार इच्छा विकसित हो जाने पर, यह दो और समस्याओं को जन्म देती है- लोभ और क्रोध। लालच इच्छा की पूर्ति से आता है। जिमी प्रतिभा लोभा अधिका: (रामायण) [v५४] "यदि आप इच्छा को संतुष्ट करते हैं, तो यह लालच की ओर ले जाता है।" इस प्रकार इच्छा को तृप्त करने से कभी समाप्त नहीं होती है:

यत् पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशव: स्त्रिय: ।
न दुह्यन्ति मन:प्रीतिं पुंस: कामहतस्य ते ॥ १३ ॥

"यदि एक व्यक्ति को संसार का सारा धन, ऐश्वर्य और ऐन्द्रिय वस्तुएँ मिल जाएँ, तो भी उस व्यक्ति की इच्छा तृप्त नहीं होती। अत: इसे दुख का कारण जानकर बुद्धिमान व्यक्ति को कामना का त्याग कर देना चाहिए।"

दूसरी ओर यदि इच्छा की पूर्ति बाधित हो जाए तो क्या होगा? यह क्रोध को जन्म देता है। यह ध्यान रहे कि क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता। यह इच्छा के अवरोध से निर्मित होता है; और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, जबकि आसक्ति विषयों के चिन्तन से उत्पन्न होती है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि कैसे इन्द्रिय विषयों के सुखों का चिंतन करने जैसा सरल कार्य लोभ और क्रोध के जुड़वां रोगों की ओर ले जाता है।

अगले श्लोक में श्री कृष्ण क्रोध के परिणामों की व्याख्या करते हैं।
भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 63 में भगवान कहते हैं:

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 63॥

भावार्थ : क्रोध के कारण स्मृति पर बादल छा जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है।

क्रोध स्मृति को बाधित करता है, जैसे सुबह की धुंध सूरज की रोशनी पर धुंधली चादर बिखेर देती है। क्रोध में लोग ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि स्मृति की धुंध से बुद्धि पर बादल छा जाते हैं। लोग कहते हैं "वह मुझसे बीस साल बड़े हैं। मैंने उससे इस तरह क्यों बात की? मुझे क्या हुआ है?" हुआ यह कि निर्णय की शक्ति क्रोध से प्रभावित हुई और इसलिए गलती हो गई।

जब बुद्धि पर बादल छा जाते हैं, तो यह स्मृति को व्याकुलता की ओर ले जाता है। व्यक्ति तब भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और भावनाओं की लहर के साथ

बहता है। वहाँ से नीचे की ओर उतरना जारी है, और स्मृति के मोह से बुद्धि का नाश होता है। और चूंकि बुद्धि आंतरिक मार्गदर्शक है, जब यह नष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार इन्द्रिय विषयों पर चिंतन से लेकर बुद्धि के विनाश तक देवत्व से अधर्म की ओर अवतरण का मार्ग बताया गया है।

इसलिए, संक्षेप में, क्रोध हमेशा लालच, वित्तीय इच्छा, शक्ति और प्रतिष्ठा की भूख जैसी अपनी इच्छा को पूरा न कर पाने की निराशा से जुड़ा होता है। जब आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, तो आपका मन व्याकुल हो जाता है और क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जो आपके मन को दूर ले जाता है। नतीजा आपका विवेक प्रभावित होता है। क्रोध की शुरुआत सबसे तुच्छ हो सकती है लेकिन कुछ ही समय में यह बड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाती है और आपकी विवेक शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। आपको परवाह नहीं है कि आप किसे चोट पहुँचा रहे हैं या नुकसान पहुँचा रहे हैं। यदि आप उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जिन्हें आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। भगवान के कहने का यही अर्थ है कि क्रोध का अंतिम परिणाम स्वयं का विनाश है। क्रोध उम्र, नस्ल, रंग, पंथ और धर्म के प्रति पूरी तरह से निष्पक्ष है - कोई भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं है। यह उन लोगों को भी उत्तेजित करता है जो स्वभाव से कोमल होते हैं और क्रूर और हिंसक कृत्य करने के लिए छोड़ देते हैं।

इसलिए जब हम अपना आपा खो देते हैं, तो हम अपना तर्क भी खो देते हैं और जब हम अपना तर्क खो देते हैं, तो हम जानवर बन जाते हैं। हम सभी ने अपने दुखद अनुभव से सीखा है कि जब हमारा गुस्सा उड़ता है, तो हम कभी ऐसा काम नहीं करते हैं जिस पर हमें गर्व हो और अक्सर हम माफी मांगते हैं। हालांकि, माफी हमारे गुस्से पर काबू पाने में मदद नहीं करती है। वास्तव में यह कहकर कि आपको खेद है कि आपने जो कुछ किया है वह क्रोध में किया है, लेकिन वास्तविकता में आपने किए गए अपने कार्यों को उचित ठहराया है। दूसरे शब्दों में आपको फिर से क्रोधित होने का बहाना मिल गया है।

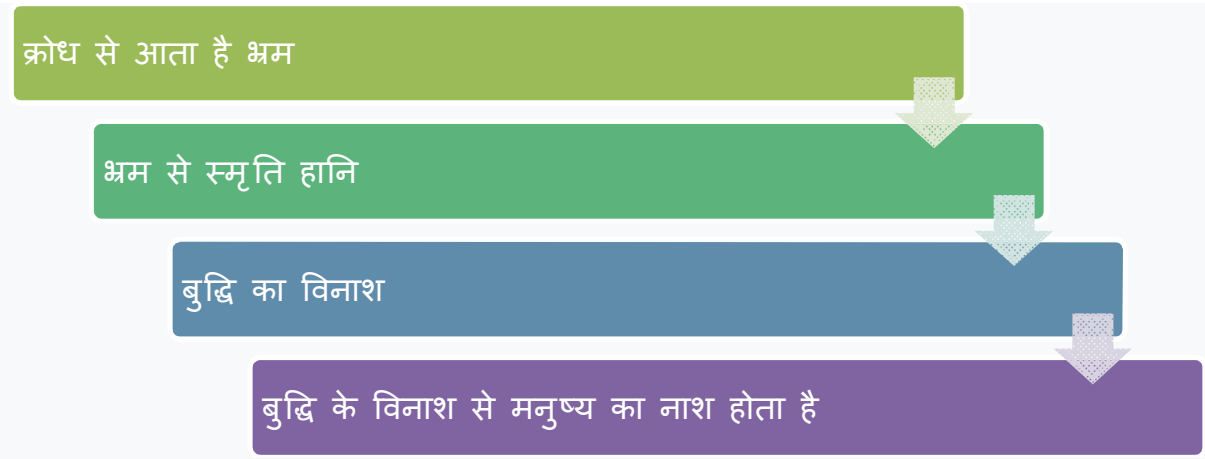

क्रोध पर नियंत्रण

अब जब आप समझ गए हैं कि क्रोध कितना शक्तिशाली और विनाशकारी है। क्रोध और उसके कुरूप परिणामों से बचने के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :-

1. याद रखें कि क्रोध हमेशा बुरा नहीं होता जब तक कि आपने अपनी विवेक शक्ति को नहीं खोया है।

2. हर शाम सोने से पहले क्रोध से जुड़े सभी परिणामों को दिमाग के सामने रखें और उनके वास्तविक मूल्यों का न्याय करें। याद रखें कि आप कुछ खोए बिना क्रोधित होने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्रोध पिता को दुःख देता है, पति या पत्नी को दुःख देता है; एक कर्मचारी को विफलता, एक व्यवसायी को नुकसान।

3. गीता के अध्याय 2 के 62 वें और 63 वें श्लोकों का प्रतिदिन प्रातः पाठ करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह इन श्लोकों के माध्यम से हमें जो बताना चाहते हैं हम उसका सही अर्थ समझें।

मन

विनय कुमार सक्सेना
वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

पढ़ा कहीं था - मन के हारे हार है,
मन के जीते जीत.
सोचता हूँ - मन में बसी हार हो,
तो कैसे हो सकती है जीत.
सब कुछ यदि है मन के आधार,
फिर क्यों ना करें !
कमजोर मन पर वार.
मन की पूजा, मन की भक्ति
लक्ष्य भेद देने की शक्ति.
गीता में लिखा है - मन से बड़ा मित्र नहीं.
किन्तु यह भी लिखा है - इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं.
हे मन ! तुम मेरे मित्र बनो...तुम मेरे मित्र बनो...

कोरोना त्रासदी

मोहम्मद कासिम
वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेयर)
भारतीय खान ब्यूरो, राँची

इस कोरोना काल ने हमें कई तरह के सवालों और विचारों से रूबरू करवाया या ये कहे ये मानव जाति की आंखे खोलने को ही आया था। इस कठिन समय में हमने इंसानों के कई रूप देखे कुछ में मानवता की हद देखने को मिली कही ये भी देखने को मिला कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग किस हद तक इंसानियत भूल सकते है। अमीर हो या गरीब सब को एक जगह ला कर खड़ा कर दिया।

इंसानों ने सबक सीखा कि पैसा जिंदगी से ज्यादा अनमोल नहीं है। एक छोटे से वायरस ने ऐसा विकराल रूप दिखाया कि न सिर्फ भारत में अपितु सम्पूर्ण मानव समाज को कैद कर के रख दिया जिस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगो को बैठने की चैन से सांस लेने की फुरसत नंही थी वहां लोग महीनो घर में कैद होने को मजबूर होना पड़ा। यही वो वक्त था जब लोगो को समझ आया की भागदौड़ में उन्होंने जिंदगी को कितना पीछे छोड़ दिया था। लोगो ने समझा कि परिवार और रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा अहम है।

माना कि कई लोगो ने इस महामारी के दौर में अपने अपनो को खोया है पर एक बहुत बड़ी संख्या में रिश्तों ने नया जन्म भी पाया है जिस तरह लोगो ने इस कठिन समय में परस्पर सहयोग दिखाया है ये साबित करता है कि लोगो में आज भी इंसानियत जिंदा है तभी तो इतना कठिन दौर हम पार कर पा रहे है। लाखों की नौकरियां चली गई गरीब वर्ग सड़को पर आ गया पर ऐसे समय में कुछ लोग फरिश्तों की तरह उनके जीवन में आए ऐसा ही बहुत बड़ा नाम हम जानते है सोनू सूद के रूप में ऐसे कठिन समय में जिस तरह उन्होंने मानवता की मिशाल पेश की है कि हर भारतीय न सिर्फ उनको प्रशंसक है बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग उनका ऋणी है चाहे वो मजदूरों को सलामत रूप से घर पहुंचाना हो, गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाना हो, नौकरी दिलवाना हो और अब तो ऑक्सीजन और बेड की जरूरतों को पूरा करने का काम हो। वो बंदा हर जगह पीछे नही हटा और हर संभव प्रयास किया मदद पहुंचाने को ठीक उन्हीं की तरह हर शहरो मे लोगो ने तथा कई समाजिक संगठनों ने आगे आकर ना सिर्फ लोगो का हौसला बढ़ाया मदद के लिए प्रेरित किया बल्कि जान की परवाह किए बिना लोगो की मदद को आगे आए यह ये दर्शाता है कि लोगो में आज भी इंसानियत जिंदा है।

वही दूसरी और ऐसे लोग भी है जिन्होंने मानवता को शर्मशार करने में कोई कसर नही छोड़ी। मौके का फायदा उठाया अनाज से लेकर दैनिक जरूरत की चीजे हो या दवा से लेकर ऑक्सिजन लोगो ने कालाबाजारी करने में कोई कसर नही छोड़ी मैं समझ भी नंही पाता किस तरह के लोग है ये इनमे इंसानियत नाम मात्र भी नही जहां एक और मौत तांडव कर रही है इस तरह की मुनाफाखोरी और कालाबाजारी उन्हें सोने कैसे देती है।मौत के आंकड़े डराने वाले है रोज हजारों की मौत की खबर मन विचलित कर देती है और ये किस तरह के लोग है जिन्होंने मौत को भी व्यापार बना दिया। ये माहोल देख कर भी जो नहीं सीख पाया।

इसलिए ही कहा गया है प्रकृति से छेड़छाड़ न करो कल जब पानी के पैसे चुका रहे थे सब ठीक था आज सांसे भी खरीदनी पड़ रही है ये कैसा समय आ गया है अब भी लोग नहीं समझे तो आने वाले समय में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।

भारतीय संस्कृति पर मंडराता संकट

श्रीमती मिताली चटर्जी
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यह परिवर्तन प्रकृति के साथ-साथ सभी चीजों में अपेक्षाकृत धीरे या तेज रफ्तार से होता रहता है। कोई भी इससे अछूता नही है। वर्तमान भारत में भी परिवर्तन की आंधियां कई दिशाओं से आ रही है। एक ओर से आधुनिकीकरण की होड़ है तो दूसरी ओर अपनी परंपरा के निर्वाह का प्रश्न है। हम पश्चिम की शैली को आधुनिकीकरण समझ कर बिना तर्क अपना रहे हैं। इसे बिना परखे अपनाकर न तो हम सही मायनों में आधुनिक हो पाए है और न ही अपनी संस्कृति, अस्मिता को सहेज कर रख पा रहे हैं। हम निर्णय करने में असमर्थ होते जा रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक लक्ष्य और साधन नष्ट होते जा रहे हैं।

परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम हैं तद्नुसार परिवर्तन भी होने ही चाहिए। नई आवश्यकताएं, सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था, नई सुविधाएं इत्यादि परिवर्तन के मुख्य कारक होते हैं। इसी प्रकार अन्य संस्कृतियों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर अपनायी जाती हैं, कभी-कभी उनके नए पन और उनकी प्रतिष्ठा के लिए भी। किन्तु यह भी जरुरी हैं कि परिवर्तन किसी पर थोपा न जाएं। हमें अपनी संस्कृति और अस्मिता के साथ समझौते नही करने चाहिए। समाज को अपनी गति से अन्य सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

अंको का जन्म भारत में हुआ पर इसका प्रसार विश्व भर में हुआ और वह भी इस तरह कि वे अपनाने वाले संस्कृति के रंग में रंग गए। भारतीय मूल की कथाओं का विस्तार अरबी, फारसी, चीनी भाषाओं में भी हुए हालांकि उनके अभिप्राय एक ही थे। संसार की हर संस्कृति ने बाहय तत्व ग्रहण किए हैं, भारत ने भी। भारतीय संस्कृति में अनेक अभारतीय भूल के तत्व है पर देशजीकरण की प्रकिया से अब वे भारतीय हो गए हैं।

विदेशियों ने हमारी संस्कृति को अध्यात्मिक कहा और इसे कृतज्ञ भाव से इस विरुपण को स्वीकार कर लिया। अर्थशास्त्र और कामशास्त्र के क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां चमत्कृत कर देने वाली है। संस्कृति में अध्यात्म निरपेक्ष विषयों की अमूल्य निधि हैं, संभवत: संसार की अन्य भाषाओं से अधिक। दु:ख तो इस बात का है कि हमने जिन संस्कृतियों को वर्षो संभाले रखा था, आधुनिकता

की होड़ ने इसका अवमूल्यन करना शुरु कर दिया है। आज जो स्थिति है, वह सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में न होकर व्यक्तिगत हितों की ओर ज्यादा झूकी है। इस प्रवृत्ति के कतिपय परिणाम विघटनकारी है। संस्कृति को देखने-समझने के मुख्यत: दो दृष्टिकोण अपनाएं गए हैं- वृक्ष प्रतिरुप और नदी प्रतिरुप। पहला प्रतिरुप संस्कृति को वृक्ष के रुप में देखता है, समाज, जड़े, एक तना और इसकी अनेक शाखाएं। बौध्द धर्म, जैन धर्म, सिख मत आदि भारतीय संस्कृति की शाखाएं हैं। दूसरा प्रतिरुप संस्कृति को एक नदी के रुप में देखता है जिसमें अनेक पृथक उद्‌गमों से आयी धाराएं मिलकर एक विशाल धारा नदी का रुप लेती हैं। यह ठीक है कि पृथक स्त्रोतों की धाराएं मिलती है पर वे अपनी प्रकृति, गुण, धर्म को पूरी तरह नही त्यागती। हिन्दू और इस्लामी धाराएं पास आयी, उनमें आदान प्रदान हुआ, किन्तु एकाएक उनमें दरार फूटी जो दिन प्रतिदिन गहरी और चौड़ी होती जा रही है और वह दरार भारतीय संस्कृति के लिए संकट बनती जा रही है।

ऐंसा क्यों हो रहा है? भारत में जाति युध्द का आरंभ क्यों हो रहा है। इसका कारण है कि कई समूहों के सांस्कृतिक उच्च भाव और उनकी कट्‌टरवादी हठवादिता। धर्म और परंपरा का राजनीतिकरण आग में घी का काम कर रहा है। आज देश में कई विघटनकारी शक्तियां हमारी संस्कृति पर हमला कर रही है, किन्तु अभी स्थिति इतनी भयावह नही हुयी है कि वह नियंत्रण के बाहर हो। हमारे पास आज भी अदम्य ऊर्जा है। वैसे तो अपसंस्कृति और उसकी विकृतियां अधिकांशत: समृध्द वर्ग तक सीमित है किन्तु उनका विष धीरे-धीरे लोक संस्कृतियों की ओर फैल रहा है। हमें इस विष को प्रभावहीन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा अन्यथा आज नही तो कल स्थिति भयावह हो सकती है।

भारतीय संस्कृति पर मंडराते संकटों में छद्म आधुनिकीकरण का उल्लेखनीय स्थान है। हमने आधुनिकता के आधार मूल्य, तार्किक विवेक, सामायिक गतिशीलता और सक्रिय सहभागिता नही अपनाया बल्कि उसके बाहय उपयोगवादी लक्षणों में उलझ कर रह गए हैं। इससे व्यक्ति केंद्रिता बढी है, सामायिक सरोकार का ह्रास हुआ है। धर्म के आधार पर सिध्दांत विस्मृत होते जा रहे हैं, तांत्रिक और चमत्कारी बाबा फल फूल रहे हैं। हमारी संस्कृति अनुकरण की भोगवादी और लिप्सावादी संस्कृति बन गयी है। आर्थिक उदारता, खुलापन और वैश्वीकरण संसार में एक अपसंस्कृति फैला रहे हैं। हमारे देश में धर्म का दुरुपयोग होना भी शुरु हो गया हैं। जहां एक सशक्त नवजागरण को प्रबल होना चाहिए, वहां हम धर्म को अल्पकालिक राजनीति लाभ का साधन बना रहे हैं। धर्म की उदात्त भावनाएं भूला दिए गए है और विवेकहीन धर्मांधता को प्रबल किया जा रहा है। इसके अलावा हम अविवेकी होते जा रहे हैं। दूरदर्शिता समाप्त होती जा रही हैं। जहां देश में भूख, बेरोजगारी आदि के विराट प्रश्न, उत्तरों की तलाश में है वहां हम कुर्सी और सत्ता के खेल में लगे हुए हैं। अत समय रहते हमें स्थिति का जायजा लेकर इस संकट को दूर करने का प्रयत्न

करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जब तक हम इस दिशा में कदम उठाएं, विदेशी फुहडपन हमारी संस्कृति को धुमिल कर चुकी हो।

बिहार में बाढ़

अभिषेक कुमार
एम.टी.एस.
भारतीय खान ब्यूरो, कोलकाता

बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हजारों की संख्या में लोग और जानवर हर साल बाढ़ के चपेट में आने से मर जाते हैं या तो लापता हो जाते हैं जिनका बाद में कुछ पता नहीं चलता है। लाखों रुपए की फसल जलमग्न या कहे तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। बाढ़ बिहार में एक प्रकार से हर साल आती है और बड़ी तबाही करके चली जाती है। उत्तर बिहार की लगभग 6% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है। भारत देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में साढे 16% इलाका बिहार का है। देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाले देश की कुल आबादी का 22% लगभग आबादी बिहार की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। बिहार का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, कोमा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर ये सारे प्रमुख जिले हैं जहाँ बाढ़ का असर सबसे ज्यादा होता है। इन जिलों के 546 पंचायतों में 90 लाख लोगों से अधिक जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित होती है।

हालांकि बिहार में बाढ़ आने के कई कारण हैं लेकिन मुख्य कारण बिहार की भौगोलिक परिस्थितियों को माना जाता है। बिहार के उत्तर में नेपाल एक पहाड़ी देश है जहाँ बारिश होने पर सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर आ जाती हैं और वह सारा पानी पहाड़ी रास्ते से होते हुए भारत में आ जाता है। वहाँ पर प्रमुख नदी बूढ़ी गंडक, बागमती अवधारा समूह, कमला बागान, कोसी, महानंदा, परमान नदी, लखनदेई, कदाने, मिलाने, धनौती, गंगा, करेह आदि वहाँ पर प्रमुख नदी है। कोसी को बिहार का श्राप कहा जाता है। Climate change, Landscape, Flood & food prosperity पुस्तक में लिखा गया है कि नेपाल की सात बड़ी नदी कोसी में मिलती है इसीलिए नेपाल में कोसी को सप्तकोशी कहा जाता है। सप्तकोशी गंगा से मिलने के लिए 729 किलोमीटर की दूरी तय करती है जिसमें से लगभग 260 किलोमीटर का इलाका भारत में पड़ता है। बिहार में बाढ़ का एक कारण यह भी है कि नेपाल में पिछले कुछ दशकों से पत्थरों के उत्खनन और जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण हालात और भी खराब हुए हैं । वर्ष 2002 से 2021 तक नेपाल 42513 हेक्टेयर वन भूमि गंवा चुका है और उसके साथ-साथ पत्थरों का उत्खनन भी बहुत तेजी से

हो रहा है जो भारत और नेपाल में तेजी से हो रहे निर्माण कार्य के लिए किया जा रहा है जिसके कारण बारिश का पानी पहाड़ों पर रुकने के बजाय तेजी से समतल क्षेत्र की ओर बढ़ता जाता है। कोसी का औसत परवाह 1564 क्यूबिक प्रति सेकंड है। और बाढ़ के समय यह 18 गुना तक बढ़ जाता है। कोसी में सबसे भयंकर बाढ़ 1968 में आई थी जब यह जल प्रवाह 24000 क्यूबिक मीटर देखने को मिला था जोकि आज तक का सबसे बड़ा जल संकट था। कोसी नदी 15 अलग-अलग धाराओं में बहने वाली नदी है जिसके कारण इसकी गाद बहकर कहीं ना कहीं एक धारा में सीमित हो जाती है और यह बात भी बाढ़ का मुख्य कारण है। ज्यादातर गाद अपस्ट्रीम बेसिस इलाके से आती है जिसकी वजह से नदी का जल मार्ग भरने लगता है और नदी में पानी इकट्ठा होने की क्षमता घटने लगती है जिसकी वजह से पानी बाढ़ का एक प्रमुख कारण बन जाता है।

एक आंकड़े के अनुसार बिहार का करीब 68,880 वर्ग किलोमीटर का इलाका हर साल बाढ़ में डूब जाता है। साल 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोसी परियोजना का शिलान्यास करते हुए कहा था कि अगले 15 सालों में बिहार में बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण कर लिया जाएगा परंतु आज 67 साल बीत गए पर इसका कोई भी समाधान नहीं निकल पाया।

आज के समय में सोशल मीडिया

विकास कुमार
उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, राँची

कहा जाता है कि सूचना दोधारी तलवार की तरह होती है। एक ओर इसका उपयोग भ्रम और कहरता फैलाने में होता है, तो दूसरी ओर रचनात्मक कार्यों में भी किया जा सकता है। सूचना क्रांति से इस आधुनिक दौर में सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। आर्थिक राजनीतिक और समाजिक प्रगति में सूचना क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किन्तु सूचना क्रांति की ही उपज सोशल मीडिया को लेकर उठने वाले सवाल भी महत्वपूर्ण हैं। क्या सोशल मीडिया हमारे समाज में ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन कर रहा है तथा समाज की प्रगति में सोशल मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? हम एक ऐसी दुनिया में रहते है जहाँ हम सूचना के न केवल उपभोक्ता है, बल्कि उत्पादक भी है। यही अंर्तद्वंद हमे इसके नियंत्रण से दूर कर देता है।

दरअसल सोशल मीडिया का प्रयोग 1950 के दशक में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक विचारक 'सोलोमन असच' द्वारा किया गया, जिसमें यह प्रयोग किया गया कि बहुमत की राय के आगे किसी व्यक्ति की राय किस प्रकार प्रभावित होती है, इसका यह निष्कर्ष सामने आया कि कोई व्यक्ति सिर्फ बहुमत की राय के साथ शामिल होने के कारण गलत जबाब देने के लिए तैयार था। कुछ लोगों ने अपना उपहास न उड़ने देने के कारण गलत जबाब दिये। 1950 के दशक से संचार का यह स्वरूप विकसित होकर नए रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन इसके बबजूद मानव का स्वभाव इसके साथ समंजस्य बढ़ाने में सफल नहीं हो पाया। कुछ हद तक यह धारणा ऑनलाइन फेक न्यूज के प्रभाव को भी इंगित करती है, जिसने समाज में ध्रुवीकरण के विस्तार में योगदान दिया है।

इस प्रकार हम पाते है कि सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण लोगों के सोचने का दायरा संकुचित होता जा हरा है।

अगर सोशल मीडिया के मूल अर्थ की बात के जाए तो कम्प्युटर , टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से किसी भी मानव संचार या इंटरनेट पर जानकारी साझा करना सोशल मीडिया कहलाता है। इस प्रक्रिया में कई बेबसाइट एवं ऐप का योगदान होता है। इसके द्वारा विचारों, सामाग्री, सूचना और समाचार को तीव्र गति से लोगों के बीच साझा किया जा सकता है। सोशल मीडिया को

एक तरफ जहाँ लोग वरदान मानते है। तो दूसरी तरफ लोग इसे एक अभिशाप के रूप में भी देखते हैं।

सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों की बात की जाए तो यह समाज के सामाजिक विकास में मदद करता है, मार्केटिंग जैसे उपकरण द्वारा लाखों ग्राहक तक पहुँच स्थापित करना, समाचार का प्रेषण, सामाजिक मुद्दो पर जागरूकता उत्पन्न करने का यह एक बेहतरीन उपकरण माना जाता है। विश्व के सुदूर कोने तक अपनी बातों को कम समय में तीव्र गति से अधिकतम लोगों तक पहुँचाने का यह एक सर्वश्रेष्ठ साधन बन चुका है।

सोशल मीडिया को शिक्षा प्रदान करने का एक बेहतरीन साधन माना जाता है। ऑनलाइन जानकारी का तेजी से हस्तांतरण, ऑनलाइन रोजगार के अवसर व्यवसाय, चिकित्सा, को प्रभावित करने में भी इसके महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान समय में शिक्षक एवं छात्रो द्वार फेसबुक, ट्विटर , लिंकडाइन आदि जैसे प्लैटफ़ार्म के प्रयोग से शिक्षक एवं छात्रो के मध्य दूरी सिमट कर कम हो गयी है।

हालाँकि कई भौतिकविदों का मानना है कि सोशल मीडिया लोगों में अवसाद और चिंता के प्रसार का कारण बन गया है। इसके अधिक प्रयोग से सोने की आदतों में बदलाव, साइबर अपराध, बच्चो के प्रति लगातार बढ़ते दबाब और एक प्रभावशाली प्रोफ़ाइल युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है। इसके अधिक प्रयोग एवं गोपनियता से निजता में कमी आती है। यह उपयोगकर्ता को साइबर अपराधों जैसे हैकिंग, चोरी, अपराधों आदि के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसके जरिये न केवल सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी गलत जानकारियों पहुंचाई जा रही है। इससे समाज में हिंसा को तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ ही हमारे सोच को भी नियंत्रित करता है।

झूठी सूचना का प्रसार यकीनन देश की प्रगति की राह में रुकावट है। ऐसे में केंद्र सरकार को एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, इसके तहत आईटी कंपनिया फेक न्यूज की शिकायतों पर न केवल अदालत बल्कि आम जनता के प्रति भी जबाबदेह होगी। इस संदर्भ में सरकार की नई दिशनिर्देश कविले तारीफ है।

अंत में यह विदित है कि सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को आयाम दिया है आज प्रत्येक व्यक्ति बिना डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हजारो लोगो तक पहुँचा सकता है। परंतु सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इसे एक खतरनाक उपकरण के रूप में भी स्थापित कर दिया है। अत: आवश्यक है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किये बिना सोशल मेडिया के दुरूपयोग को रोकने के लिये सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श करके विकल्पों की खोज की जाए, ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों से बचा जा सके।

संविधान

कमल किशोर बंशकार
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

सदियों-सदियों रहे गुलाम
जीना सबका रहा हराम
खून बहा था गलियों - गलियों
चली थी इतनी गोलियां।

कई माओं की उजड़ी गोद
सूनी हुई कलाइयां
तब जाकर मिली थी आजादी
देकर इतनी कुर्बानिया।

पर आजादी के बाद भी
मची हुई थी उथल पुथल
दिखा रहे थे सब अपना बल।

ऐसे में आया बाबा का
लिखा हुआ वृहत संविधान
चीरता हुआ अंधेरो को
रौशनी लेकर आया संविधान।

ख़त्म कर दिया उथल पुथल को
समंदर सा शांत संविधान
ऊंच नीच और जात पात मिटा
समता का दिया सबको वरदान।

महिला पुरुष सेठ किसान
सबके लिए कानून समान
हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई
जैन बौद्ध और पारसी भाई।

ऐसा ग्रन्थ रच डाला बाबा ने
सबको किया एक सामान।
सालो सालो चला इसी से

भारत होकर देश महान
लोहा माना जिसका दुनिया ने
करते सब जिसका गुणगान
और नहीं कुछ है वो
वो तो है हमारा संविधान।

नज़र लगी कुछ धूर्तो की
मिटाने इसको करते नित नए काम
पर है वो मूर्ख अनजान।

सांस चलती हर एक भारतीय की इसी से
रग रग में है इसका नाम
मर जायेंगे मिट जायेंगे वो
मिटेगा नहीं कभी संविधान।

मानव और समाज

प्रदीप कुमार सिन्हा
अवर श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक के अनुसार 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है' अक्षरश: सत्य प्रतीत होती है, यदि हम इसे सरल भाषा में कहें तो दोनों समाज और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। यदि समाज का निर्माण मनुष्यों ने किया तो समाज ने उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मनुष्य पृथ्वी पे तो अकेला ही आया था परंतु वह यहां अकेले अपना जीवन - यापन नहीं कर सकता था। इसीलिए उसे एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ी जिसके लिए समाज या परिवार का होना बहुत ही आवश्यक हुआ और फिर परिवार से समाज और समाज से शहर, राज्य और राष्ट्र का निर्माण हुआ। सामाजिक जीवन से पृथक मनुष्यजीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, मनुष्य का चहुमुखि विकास समाज में रहकर ही संभव है समाज ही व्यक्ति के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है जो उसके विकास के लिए परमावश्यक होती है।

मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज की और समाज को अपने अस्तित्व के लिए मनुष्य की जरूरत होती है। ये भी माना जाता है कि प्राचीन काल में जब मनुष्य अकेला था तो स्वयं को जीव - जंतुओं से बचाने के लिए उसने झुंडों में रहना प्रारंभ किया। धीरे - धीरे ये झुंड परिवार में बदले और परिवारों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास करना शुरू किया तब जाके समाज का निर्माण हुआ। यदि हमारे समाज अथवा कुछ लोगों में खराबी है तो बहुत से लोगों की तरह उसकी भर्त्सना करके मुहं फेर लेने की बजाय हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। यदि कोई खराबी है तो हमें इसके समाधान खोजने चाहिए तथा सभ्य समाज के निर्माण की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। हरेक समाज में बुरे लोग होते है ये उस सड़े अंग की तरह होते है यदि समय पर इनका ईलाज नहीं किया जाए तो यह सम्पूर्ण शरीर का नाश कर देंगे।

इसलिए हमारे समाज की बुराईयों पर इसलिए आँख न मूंदे कि यह हमसे अभी तक दूर है क्योंकि अगला नम्बर हमारा ही होगा, समाज में जो कुछ हो रहा है जैसे संस्कार व सभ्यता का चलन हैं हम वैसे ही बनेगे। न केवल यह व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा बल्कि आने वाली नस्लों पर तत्कालीन समाज का प्रभाव पड़ना सुनिश्चित हैं। ये प्रभाव अच्छे पड़े या बुरे यह हमारे विवेक पर निर्भर करता हैं।

पुराने जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे और उनमें आदर्शता थी जो एक सभ्य समाज का निर्माण करती थी, परंतु अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है अब लोग स्वयं को समाज का हिस्सा तो मानते हैं, परंतु समाज के प्रति उनके क्या कर्तव्य है भूलते चले जा रहे हैं। अब मनुष्य संयुक्त परिवार में रहना उचित नहीं समझता है वह स्वयं के स्वार्थ को सर्वोपरि मानते हुए आत्मकेंद्रित होता जा रहा है।

यदि किसी व्यक्ति को एक महीने के लिए अकेला छोड़ दें और फिर देखें कि उसके साथ क्या होता है। वह अकेलेपन और अवसाद से पीड़ित हो जाएगा और इसके कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बीमारियां भी पैदा हो जाएँगी। एक आदमी के लिए अकेला रहना संभव नहीं है। मनुष्य हमेशा से एक सामाजिक पशु रहा है। वह आसपास के लोगों से प्यार करता है। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अपने विचार साझा करना, उनके साथ समय व्यतीत करना और उनके साथ अलग-अलग गतिविधियों में शामिल होने से उन्हें अच्छा महसूस होता है और उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का भाव मिलता है।

वर्तमान समय में मनुष्य का दृष्टिकोण समाज को लेकर बदल गया है अब उसके लिए समाज का अर्थ सिर्फ उस क्षेत्रफल तक सीमित हो गया है जहां वो रहता है, लेकिन शायद लोग ये भूलते जा रहे हैं कि समाज का अस्तित्व मनुष्य जीवन की आधारशिला है, यदि मनुष्य समाज में प्रसिद्धि पाता है तो सभी लोगों के बीच उसका आदर सम्मान बढ़ जाता है। आज के समय में मनुष्य जिस भी क्षेत्र में उन्नति कर रहा है वो समाज की ही तो देन है।

यदि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करता है तो सर्वप्रथम उसे उस समाज के नाम से संबोधित किया जाता है जिसका वो हिस्सा होता है, मनुष्य अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वाह समाज में ही रहकर कर सकता है यदि समाज न हो तो फिर इन अधिकारों और कर्तव्यों का क्या मतलब।

समाज मनुष्य के लिए वो प्रतिबिंब है जिसमें प्रत्येक दिवस जो अपने अभिलाषाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा होते देखता है। हालांकि ये सर्वविदित है कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है परंतु वर्तमान समय में समाज मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। समाज मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति करता है। अरे ये समाज ही तो है जो आदिकाल से मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति का उद्घोषक रहा है। मनुष्य का शरीर तो नाश्वर है परंतु समाज हमेशा जीवित रहता है उन गौरव गाथाओं के परिचायक के रूप में जो उसके अस्तित्व की पहचान को परिलक्षित करती है।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि समाज और मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक शरीर तो दूसरी आत्मा, तभी तो कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।

वो भी एक दौर था ये भी एक दौर है

नंदकिशोर कनोजिया
सहायक
भारतीय खान ब्यूरो, हिंगणा, नागपुर

पहले 25 पैसों के जमाने में भी लोगों में सुकून था,
आज लाखों के जमाने में भी लोगों को सुकून ढूंढते देख रहा हूँ
वो भी एक दौर था ये भी एक दौर है।

पहले थोड़े से पैसे और छोटे से घरों में भी खुशियां थीं,
आज पैसों वालों एवं बडें बंगलों में रहने वाले लोगों को भी खुशिया तलाश करते देख रहा हूँ
वो भी एक दौर था ये भी एक दौर है।

पहले जिसके माँ - बाप नहीं थे उसके लिए अनाथालय खुलते देखा था,
आज जिसके माँ - बाप हैं उसके लिए वृद्धाश्रम खुलते देख रहा हूँ
वो भी एक दौर था ये भी एक दौर है।

पहले रिश्ते व्यवहारिक थे एवं हर रिश्तों के मतलब थे,
आज हर रिश्ते को व्यापारिक एवं मतलब के रिश्ते बनते देख रहा हूँ
वो भी एक दौर था ये भी एक दौर है।

पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तब दूर होकर भी हर रिश्ते पत्र से जुड़े थे,
आज मोबाईल एवं सोशल मीडिया से जुड़ कर भी हर रिश्ते को दूर होते देख रहा हूँ
वो भी एक दौर था ये भी एक दौर है।

पहले लोग शिक्षित नहीं थे पर लोग समझदार, शिष्टाचारी, और संवेदनशील थे,
आज लोग शिक्षित हैं फिर भी लोग नासमझ, दुराचारी एवं संवेदनहीन हैं ।

शीर्षक : अर्जुनोदय

जय कुमार
सहायक
भारतीय खान ब्यूरो, हिंगणा, नागपुर

स्कूलों के हैं आजकल बड़े ही ताम-झाम,
ऑनलाईन क्लास ने बढ़ाए हमारे काम ।।

हम बेचारे इतने जाते हैं पिस,
पूरा न हो सका होमवर्क 'मिस' ।।

नहीं है भाता हमें ज्यादा साईंस,
कैसे बनें हम आज के आईंस्टिन ।।

कैसे हल करूँ मैथ्स सर,
कब बनूंगा नन्हा-सा कैलकुलेटर ।।

स्मरण हो कैसे ऐतिहासिक डेटलाईन,
सिवाय खींचने के स्ट्रेट लाईन ।।

एक्टिविटी ने किया पढ़ाई से दूर,
हम हैं कोचिंग जाने को मजबूर ।।

न दिखती अर्जुन वाली वो मछली की आँख,
कैसे करूँ दशानन रूपी वो भ्रम को राख ।।

नहीं मिलता नोट्स का इनपुट,
बच्चे पहने तो कैसे 'गोल्डन बूट' ।।

परसेंटेज लुटाया जाता है,
जो बाहर काम न आता है ।।
फिर भी जागी है उम्मीद की किरण,
हर मोर्चे पर करेंगे जागरण ।।
आसमान में बिखरे सतरंगी कलर्स,
वैसा बने हमारे देश के स्कॉलर्स ।।

प्रथम पहर

सूर्यभूषण प्रसाद
उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, हिंगणा, नागपुर

था प्रभात का प्रथम पहर
जब शीतल समीर ने थपकी दी मेरी काया को आकर ।

निंद्रा टूटी, चेतना जागी, फिर आलस्य ने बिस्तर त्यागा ।
शुरू हुआ परिन्दों का मधुर गान
प्रकाश के रथ पर सवार, उदित हुए दिनकर महान ।

रात की काली चादर कहीं गुप्त हो गई
चाँद तारों की पूरी बारात कहीं लुप्त हो गई ।

चारों दिशाओं में फैला उजाले का राज
सभी प्राणियों ने किया नए दिन का आगाज ।

फैली हवाओं में फूलों की खूशबू ,
मिलकर करने लगे भँवरों भी गुँजन
पूर्ण ताजगी से भरा इस धरती का आँगन ।

बैलों की घण्टी, परिन्दों का कलरव
पास बहती किसी नदी का कलकल
कुदरत ने मनोरम छटा बिखेरे हैं हर पल ।।

प्रकृति का यूँ सानिध्य पा
रोम रोम मेरा पुलकित हुआ, रोम रोम मेरा पुलकित हुआ ।।

'सुंदर संस्कार'

राजेन्द्र सिंह बैस
सहायक
भारतीय खान ब्यूरो, हिंगणा, नागपुर

कोई भी मनुष्य किस बात को, किस प्रकार से समझता है।
यह उसकी मानसिकता तय करती है।

कोई दूसरों की थाली में से भी, छीन कर खाने में अपनी शान
समझता है तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को,

निवाले खिला कर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों,
समझ, और मानसिकता का है लेकिन एक बात तो तय है

कि छीनकर, खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता।
और बांट कर खाने वाले, कभी भी भूखे नहीं रहते।

<u>जंगल की वह रात</u>

जी. एस. सोनेकर,
खनिज अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

मैंने निसर्ग प्रेमी अरण्यक ऋषि श्री मारूति चितमपल्ली जी के बारे में सुना था। समाचार पत्र में प्रकशित हुए उनके लेख भी पढ़े थे और उनके तीन भाषण भी सुने थे। उनके वे लेख तथा भाषण पूर्णतः जंगली पशु-पक्षियों के बारे में थे। श्री मारूति चितमपल्ली जी ने अपनी लगभग पूरी जिन्दगी जंगल निरीक्षण में बिताई है और जंगल की सटीक जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने एक भाषण में बताया था कि भालू की आँखें तेज होती हैं और सूंघने की शक्ति जबरदस्त होती है, वह पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर शहद पीता है, बंदर कैसे हिरण को खतरे से सावधान करता है। बंदर अति ठण्ड में भी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं या गर्मी से अपना सरंक्षण कैसे करते हैं और अकाल में कैसे आत्महत्या करते हैं। बाघ की शान, उसका चलना, उसके शिकार करने के तरीके के बारे में बताया था और एक बात उन्होंने कही थी कि बाघ को देखना है तो उसे जंगल में ही देखो। इन बातों से मेरा निसर्ग प्रेम /जंगल प्रेम बढ़ गया और जंगल की दुनिया नजदीक से देखने की इच्छा मन में बढ़ गई। मन में जंगल का भूत सवार हो गया था। मेरा मन कहता था कि जंगल में जंगली पशु-पक्षी कैसे जीवन जीते है, कैसे रहते हैं, यह देखना है तो जंगल में जाना जरूरी है। प्रसिद्ध लेखक फक हार्बर्ट ने सही कहा है- ‘‘जो अपने को मालूम नहीं उसकी जानकारी लेना ही ज्ञान है।’’ कुछ महान लेखकों ने कहा है-‘‘मनुष्य को किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए दो चीजें उसके मन में होना जरूरी है, एक है उस विषय की थोड़ी सी जानकारी और दूसरी उस विषय के प्रति सोचने की, समझने की, देखने की जिज्ञासा।’’ प्रसिद्ध समाजसेवी साने गुरूजी ने कहा है कि ‘आपका ध्येय, जिज्ञासा जितनी बड़ी होगी, उतना ही उसे पाने का रास्ता लम्बा और कठिन होता जाता है।’ एक दूसरे लेखक ने यह भी कहा है कि ‘‘आपको महान काम करना हो तो और आपको जो अच्छा लगता है, वह कठिनतम क्यों न हो उसे करने का प्रयास अवश्य करें।’’

एक दिन मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि वन विभाग ने बुद्ध पूर्णिमा की रात को जंगली प्राणियों की गणना हेतु आवेदन मंगाये हैं। मैंने तुरन्त दूसरे दिन आवेदन वन विभाग के कार्यालय में सौंपा। चुने हुए लोगों की सूची में मेरा नाम था, मैं खुशी से झूम उठा था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह आठ बजे मैं वन विभाग के कार्यालय में पहुंचा। वहां पर वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल में कैसे रहना है है, क्या करना है, इनका प्रशिक्षण दिया और जंगली पशु-पक्षियों को पहचानने के लिए दो किताबें भी प्रदान की। वहां सुबह का खाना खाने के बाद हमें जंगल के अंदर जंगल कुटी में पहुंचाया गया और वहां जंगल प्रहरी साथ में देकर जंगल में बनाई मचान पर जाने को कहा गया। हमारा मचान जंगल कुटी से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर था। मैं और मेरा साथी जंगल प्रहरी हाथ में डंडा और कुल्हाड़ी लेकर मचान की ओर बढ़ रहे थे कि तभी जंगल के रास्ते पर जंगली बंदर की टोली को बैठे देखा जो हमें देखकर वहां से हटे नहीं पर हमें दांत दिखाकर डरा रहे थे। हम पांच मिनट वहां रूके रहे। बाद में वह बंदर की टोली पेड़ों की ओर बढ़ गई। घने जंगल के अनदेखे रास्ते पर हम चल रहे थे। मन में जंगली जानवरो का डर भी सता रहा था। शूर लोग अनदेखे रास्ते पर चलते हैं और डरपोक लोग देखे रास्ते पर चलते है। इस जंगल के अनदेखे रास्ते पर हम दोनों अपने आप को शूरवीर समझ रहे थे। थोड़ा आगे चलने के बाद मेरे साथी ने कहा - ‘‘साहब अपना मचान आ गया, वह देखो।’’ तब तक दोपहर के दो बज गए थे। मैंने मचान का निरीक्षण किया और देखा कि मचान सिर्फ सात-आठ फीट ऊंचा है। उसके दांयी और बांयी ओर पानी का स्रोत था। जंगली पशु-पक्षी इस मचान से अच्छी तरह से देखे जा सकते थे। हम दोनों तुरन्त मचान पर चढ़ गए। हमें देखकर बंदर की टोली वहां पानी पीने के लिए आयी थी। उन्होंने पानी पीया और पानी के किनारे बैठ गए। तभी जंगल में किसी जानवर के दौड़ने की आवाज सुनाई दी और सभी बंदर वहां से भाग गये और आगे के पेड़ों पर चढ़ गये। मेरे साथी ने कहा - साहब पानी पर दो जंगली कुत्ते आये हैं। मैंने उन जंगली कुत्तों को देखा। कुछ देर के बाद वे दोनों पानी पीकर चलते बने। उसके बाद लगभग बीस मिनट के बाद एक हिरण पानी के पास आया। उस हिरण ने हमें देखा और वह बिना पानी पिये वहां से भाग गया। मैं बहुत दुःखी हुआ। मैंने साथी से कहा कि मचान के नीचे उतरकर पेड़ों की डालियां तोड़कर लाओ और अपने चारों ओर लगा लो ताकि जानवर हमें देख न सकें। मेरे साथी ने वैसा ही किया। शाम के पांच बजे थे, हम मचान पर लेटकर आसमान की ओर देख रहे थे। तभी मेरे साथी ने कहा - साहब, वो देखो, गरूड़ पक्षी पानी पीने आया है। मैं उस गरूड़ पक्षी की ओर देख रहा था। गरूड़ पक्षी पेड़ से उड़कर नीचे आया और पानी पीकर चला गया। बाद में और एक गरूड़ पक्षी आया। हमारे सामने के बड़े पेड़ पर बैठा तभी उसकी तेज नजर मुझ पर पड़ी और वह भी उड़कर चला गया।

शाम हो रही थी, आसमान में अंधेरा छा रहा था तथी दो मोर हमारे मचान के पास टहल रहे थे। मेरा मन जंगल के मोर को देखकर आनंदित हो उठा। कुछ ही देर बाद आगे की ओर से बंदर की 'मॅक, मॅक' आवाज सुनाई दी। मेरे साथी ने धीरे से कहा, साहब बाघ पानी पीने आ रहा है, उसकी आँखें अंधेरे में भी चमक रही है, लेट कर उसे देखो, बाघ ने अपने को नहीं देखना चाहिए। बाघ एक ही छलांग में मचान पर चढ़ सकता है और उसके सामने अपनी कुल्हाड़ी और डंडा भी काम नहीं करेगा। छुपकर उसे देखो। मैं लेटकर उस दिशा की ओर देख रहा था तभी एक पत्थर गिरने की आवाज आयी। हम दोनों उस ओर गौर से देख रहे थे पर अंधेरे में बाघ हमें दिखाई नहीं दिया। रात के आठ बज चुके थे। हम मचान पर फल खा रहे थे। तभी बाघ की दहाड़ सुनाई दी। हमें लगा कि अब तो बाघ जरूर पानी पीने आयेगा। पर बाघ पानी की ओर आया ही नहीं। लगभग दस मिनट के बाद बड़ी तेज आवाज सुनने में आयी। मैंने साथी से पूछा - 'यह आवाज किसकी है।' उसने उत्तर दिया - 'यह आवाज सांभर की है।' रात को बारह बजे जंगल में ठंडी महसूस होने लगी थी। आसमान में चंद्रमा की रोशनी छा गयी थी। पर जंगल में घने और ऊंचे पेड़ों के कारण नीचे अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा से मेरा साथी पहले सो गया था और मैं अकेला मचान पर लेटकर जंगल की शांति और उसके साथ बीच-बीच में होने वाली मोर की आवाज, विविध पक्षियों की आवाजें, जंगली जानवरों की आवाजें सुन रहा था। रात को मुझे भी नींद कब लगी पता भी नहीं चला। मैंने जानवर के दौड़ने की आवाज सुनी तो मेरी आंखें खुल गयीं। कुछ समय बाद मचान के दाहिनी ओर जानवरों के पानी पीने की आवाज सुनी। वह बाघ की दहाड़ने वाली आवाज सुनकर मुझे लगा, जरूर बाघ ही पानी पी रहा होगा और उस बाघ को देखने की हिम्मत मैंने नहीं दिखाई क्योंकि मेरे साथी ने पहले ही बाघ की बातें बताकर मेरे मन में बाघ के प्रति डर पैदा कर दिया था। सुबह के करीब चार बजे होंगे। तब मैंने मचान के आगे जंगली भैंस को जाते हुए देखा। उस महाकाय भैंस का मैंने मन में धन्यवाद अदा किया। क्योंकि उसने हमारे मचान को धक्का नहीं दिया था। जरा-सा धक्का दिया रहता तो हम उस समय मचान के नीचे दिखते थे। सुबह हो रही थी। पूर्व दिशा में सूर्योदय का प्रकाश फैलने लगा था और पश्चिम दिशा में अंधेरा हो रहा था। अंधेरे में कुछ भी हलचल दिखती तो ऐसा लगता था कि कोई जंगली जानवर हमारी ओर देख रहा है।

सुबह लगभग पौने पाँच बजे मैं मचान पर खड़ा होकर चारों ओर देखा तब अंधेरा गायब हो चुका था और दूस्दूर तक नजारा सही दिखने लगा था। मेरा साथी उस समय सोया हुआ ही था। मैं अकेला जंगल के चारों ओर देख रहा था और सोच रहा था कि रात में जंगल में बाघ का राज रहता

है। वह रात भर जंगल में शिकार के लिए घूमता है और सुबह होने पर अपने स्थान/जगह पर लौटता है तो वह वापसी में जरूर दिखेगा। पर सुबह पांच से सात बजे तक कोई भी जानवर दिखाई नहीं दिया। सिर्फ विविध प्रकार के रंग-बिरंगे पक्षी पेड़ों पर हँसते-खेलते दिखाई दे रहे थे। सुबह सवा सात बजे मेरा साथी नींद से उठा और कहा कि मेरा बदन बहुत दुख रहा है। मुझे जंगल कुटी को लौटना है। मैंने कहा एक घंटे के बाद लौटते हैं। बता नहीं सकते, जाते-जाते रास्ते में कोई जानवर मिल गया तो अपना क्या होगा? लगभग आठ बजे मेरा साथी और मैं मचान से नीचे उतरे। थोड़ा सा अगल-बगल घूमे और पानी के पास जहां रात को पत्थर गिरने की आवाज आयी थी उस जगह पहुंचे और वहां हमने गीली मिट्टी में बाघ के पैर के निशान देखे। वह बाघ के पैर के निशान देखकर मेरा साथी हक्का बक्का हो गया और बोला कि कितना बड़ा यह बाघ था। कितना बड़ा पंजा है जो अपने मचान के पास आकर पानी पीकर चला गया था और अपने को दिखाई नहीं दिया। मैने वापस जंगल कुटी की ओर चलते-चलते साथी से कहा, 'सही बात है, मेरे मन की अभिलाषा बाघ देखने की पूरी नहीं हुई जंगल में आकर भी बाघ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ हमने डर-डर के कल की 'वह जंगल की रात' बितायी। तब मेरा साथी बोला ''अच्छा हुआ बाघ नहीं दिखा, दिखता तो अपना क्या हाल होता। मैंने कहा 'आपकी बात सही है, हम दोनों जंगल के अंदर सुरक्षित आये और सुरक्षित वापस जा रहे हैं, यही बड़ी बात है। और कल की वह रात, हमेशा के लिए दिमाग में घर बनाके रहेगी। बाघ देखने की तमन्ना आगे भी कभी न कभी पूरी होगी। हम दोनों बातें करते-करते जंगल कुटी में कैसे पहुंचे पता नहीं चला। कुटी में डीएफ.ओ. साहब बैठे थे। साहब ने पूछा 'रात को बाघ देखा।' मैंने कहा सर, हमें नहीं दिखाई दिया। तभी डी.एफ.ओ. साहब बोले, 'जाओ उस गाड़ी से, एक किलोमीटर दूरी पर तालाब है। उस तालाब में बाघ बैठा है, मैं उसे देखकर यहां अभी-अभी आया हूँ। जाओ, आप देखकर आ जाओ। मैंने कहा 'सर, अब हम लोग थक चुके हैं। शरीर में और घूमने की ताकत नहीं है। बाघ को अगली बार आयेंगे तो देख लेंगे। अब हमें नागपुर वापस जाना है। हमें जंगल कुटी से वन विभाग कार्यालय में पहुंचा दिया। वहां मैंने जंगली जानवरों की गणना का तक्ता सौंपा। बाद में मैं घर वापस आया।

इस प्रकार मेरे मन की जंगल देखने की तमन्ना पूरी हुई थी। जंगल में रात को रहने का सपना भी पूरा हो गया था। कहते हैं 'आदमी जो चाहता है उसे पा नहीं सकताः पर मेरी कुछ पाने की चाहत पूरी हो गई थी।

जंगल की दुनिया ही अलग है। जंगल अलग-अलग समय पर जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात में अलग-अलग रूप को धारण करता है और अलग अनुभव देता है जो कि अतुलनीय है। इस

जंगल के मुकाम या जंगल सफर में मुझे यह प्रतीत हुआ की जंगलों में विविध जानवरों को देखना या अनुभव करना एक साहसी एवं सुंदर अनुभव है ही लेकिन जानवरों का दर्शन न होते हुए भी केवल जंगल को देखना, उसके विविध रूप को निहारना यह एक अत्यन्त अलग और रोमांचक अनुभव है। जंगली जानवरों का जीवन जंगलों में निर्भय है और पूर्णतः नैसर्गिक संसाधनों पर निर्भर है। और जंगल रहा तो जंगली जानवर भी रहेंगे और जंगल का अनुपम सौंदर्य भी हमें देखने को मिलेगा। इसलिए जंगल को बचाना तथा जंगली जानवरों की रक्षा करना, हर भारतीय का कर्तव्य है। कहते हैं बाघ रहेगा तो जंगल रहेगा और जंगल रहेगा तो बाघ रहेगा और जैवविविधता भी टिकी रहेगी। मुझे आपसे कहना है कि 'जंगल से नफरत नहीं, प्यार करना चाहिए। क्योंकि जंगल ही जीवन है।

सिंगिंग बर्ड

प्रशांत तिनगुरीया
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

"पापा देखो देखो ये कितने सुंदर-सुंदर पंछी है, पहले तो कभी नहीं देखे"। लगभग पाँच साल की बेटी पिंकी ने अपने पापा से पुछा।

"बेटा पता है ये सिंगिंग बर्ड है, सिंगीग बर्ड, ये पंछी गाते है"।

राजेंद्र अपनी बेटी पिंकी के साथ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय मे झंडा वंदन करने के बाद उसे नागपुर का सुप्रसिधद सिताबर्डी किला घुमाने ले गये थे। वहाँ पर एक आदमी पिंजरे मे सुंदस्सुंदर पंछी लेकर बेचने के लिये बैठा था।

"पापा पिंजरे मे पंछी गाते नही, रोते है"।

बेटी पिंकी की बात सुनकर राजेंद्र सोच मे प्ड़ गये। उन्हें वह दिन याद आया जब वे मुम्बई कार्यालय मे तैनात थे तब एक दिन मुम्बई मे इतनी बारिश हुयी थी कि उन्हें पूरा एक दिन और एक रात अपने ऑफिस में ही गुजारना पड़ा था जैसे किसी कैदी को जेल मे गुजारना पड़ता है। बेटी कि बात सुनकर उन्हें वो रात याद आ गई।

उन्हे अपने गुरु की बात भी याद आयी कि जीवन के वृक्ष से दो फल अवश्य प्राप्त करे, एक मधुर वाणी जिससे किसी का भी दिल ना दुखे और दूसरा धर्म कि संगत।

उन्होंने उस आदमी से वह सुंदर-सुंदर पंछी खरीद लिये और बेटी पिंकी ने उन्हें उड़ा दिया। 75 वी स्वतंत्रता दिवस के शुभ दिन वह सुंदस्सुंदर पंछी स्वतंत्र हो गये। उनकी बेटी पिंकी खुशी से झूम गयी। स्वतंत्र पंछी फिर से सिंगिंग बर्ड बन गये।

आतंकवाद

उमेश कुमार
एम.टी.एस.
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ है - भय का सिद्धांत। देश में आंतक की स्थिति उत्पन्न करना, अफरा - तफरी मचाना ही आतंकवाद कहलाता है। आज विश्व का कोई भी देश इस राक्षस के चंगुल से मुक्त नहीं है। कहीं कम तो कहीं ज्यादा ही है। जब हम भारत की विभिन्न समस्याओं पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा देश अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। अनेक समस्याओं में आतंकवाद भी एक समस्या है जो भारतवर्ष रूपी वृक्ष को दीमक के समान चाट - चाट कर खोखला कर रहा है। आतंकवाद का रूप देने वाले व्यक्ति आतंकवादी कहलाते हैं। आतंकवादियों के दिल कठोर एवं निर्मम होते हैं उसे किसी मासूम बच्चों की अनाथ होने की न चिंता होती है न ही किसी स्त्री की विधवा होने की। आतंकवादी हर प्रकार से आतंक फैलाने की चेष्ठा करते हैं वे बसों से यात्रियों को निकालकर मारते हैं। रेल पटरियों को उखाड़ फेंकते हैं, बैंकों को बंदूक की नोक पर लूटते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर बम फेंकते हैं। यहाँ तक कि मंदिरों को भी नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार वे आतंक फैलाने में सफल होते हैं। कुछ विदेशी ताकतें भी भारत की उन्नति से जलते हैं। वे भारत की उन्नति को रोकने के लिए आतंकवादियों से जा मिलते हैं और उन्हें धन का लालच देकर उपद्रव कराते हैं।

आतंकवाद के अनेकों कारण हैं और उन अनेकों कारणों में सबसे प्रमुख गरीबी है दूसरा बेरोजगारी। धार्मिक कट्टरता भी आतंकवादियों को जन्म देते हैं। लोग धर्म के नाम पर एक - दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। यहाँ तक कि धर्म के नाम पर अलग राष्ट्र की माँग भी करने लग जाते हैं। गरीबी के साथ - साथ बेरोजगारी भी आतंकवाद को जन्म देती है।

सरकार भी वर्षों से आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके लिए कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे - कानून व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है, आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र को समाप्त किया जाना चाहिए, सीमा के साथ लगने वाले सारे क्षेत्र की नाकाबंदी करनी चाहिए एवं नव युवकों के लिए रोजगार के अवसर जुटाए जाने चाहिए।

सरकार के साथ - साथ जनता को भी आतंकवाद समाप्त करने में सहयोग करना चाहिए। जैसे - अपने पास - पड़ोस में किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही उसकी सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए। अत: आतंकवाद की समस्या का समाधान जनता एवं सरकार के मिले - जुले प्रयासों से ही संभव है।

वर्ष 2020 - 2021 के दौरान हिंदी संबंधी कार्यों का विवरण।

भारतीय खान ब्यूरो अपने मुख्यालय तथा सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है जो 'ख' क्षेत्र में स्थित है। 06 अधीनस्थ कार्यालय 'क' क्षेत्र में, 01 अधीनस्थ कार्यालय 'ख' क्षेत्र में तथा शेष 08 अधीनस्थ कार्यालय 'ग' क्षेत्र में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो के सभी अधीनस्थ कार्यालयों ने राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2020-21 के दौरान हिंदी कार्यान्वयन से संबंधित प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. **मुख्यालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक :-** दिनांक 29/06/2020 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 114 वीं बैठक, दिनांक 30/09/2020 को 115 वीं बैठक दिनांक 01/01/2021 को 116 वीं बैठक तथा दिनांक 31/03/2021 को 117 वीं बैठक का आयोजन किया गया। इन बैठकों में भाषा एवं टंकण प्रशिक्षण, हिंदी के रिक्त पदों को भरा जाना, नियम 10(4) एवं 8(4) के तहत अधिसूचना जारी करना, धारा 3(3) का उल्लंघन, हिंदी कार्यशाला एवं अधीनस्थ कार्यालयों का वेब - लिंक के माध्यम से ऑनलाईन आयोजन एवं राजभाषा निरीक्षण, राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन आदि अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित आयोजन किया जाता है और रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाती है।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक करते हुए श्री पंकज कुलश्रेष्ठ डॉ. पी. के. जैन, मुख्य खनिज अर्थशास्त्री एवं राजभाषा अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो।

2. भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा - 2020 का आयोजन :-

महानियंत्रक (प्रभारी) भारतीय खान ब्यूरो के निर्देशानुसार श्री पी. एन. शर्मा, मुख्य खान नियंत्रक (प्रभारी) भारतीय खान ब्यूरो की अध्यक्षता में भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर में दिनांक 14/09/2020 को हिंदी पखवाड़ा - 2020 का ऑनलाईन उद्घाटन किया गया तथा साथ ही हिंदी दिवस का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय खान ब्यूरो के शीर्ष अधिकारीगण वेब-लिंक के माध्यम से जुड़े एवं कार्यक्रम में भाग लिया। इनमें डॉ. (श्रीमती) संध्या लाल, निदेशक (अयस्क प्रसाधन), श्री एस. के. अधिकारी, मुख्य खनन भूविज्ञानी, डॉ. पी. के. जैन, मुख्य खनिज अर्थशास्त्री एवं राजभाषा अधिकारी, श्री अभय अग्रवाल, क्षेत्रीय खान नियंत्रक एवं तकनीकी सचिव तथा श्री वाय. जी. काले, क्षेत्रीय खान नियंत्रक एवं कार्यालय अध्यक्ष और उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रमुख रूप से भागीदारी की।

कार्यक्रम के आरंभ में डॉ. पी. के. जैन, राजभाषा अधिकारी द्वारा माननीय संसदीय कार्य, कोयला तथा खान मंत्री, भारत सरकार श्री प्रल्हाद जोशी जी का संदेश वाचन किया गया। श्री पी. एन. शर्मा द्वारा माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी का संदेश पढ़ा गया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री पी. एन. शर्मा, मुख्य खान नियंत्रक (प्रभारी) ने दैनंदिन कार्यालयीन कार्य अधिकाधिक हिंदी में ही करने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी निज भाषा है तथा यह भाषा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी का संघर्ष कभी भी भारत के अन्य भाषाओं से नहीं रहा है बल्कि हिंदी भाषा ने अन्य भारतीय भाषाओं को भी बल प्रदान किया है।

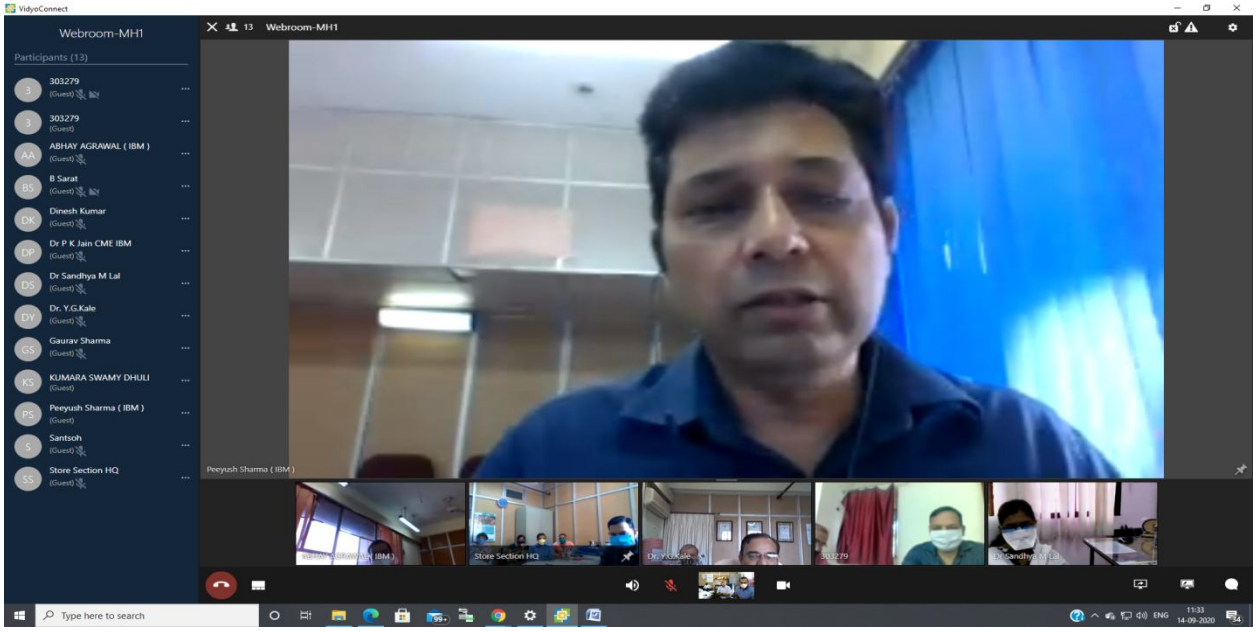

दिनांक 14/09/2020 को हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी का संदेश वाचन करते हुए श्री पी. एन. शर्मा, मुख्य खान नियंत्रक (प्रभारी), भारतीय खान ब्यूरो।

इसके पूर्व राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन ने स्वागत भाषण दिया तथा भारतीय खान ब्यूरो कार्यालय की हिंदी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत वर्षभर का लेखा - जोखा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उन्होंने हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी दी ।

हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध, टिप्पण आलेखन, हिंदी अनुवाद, तात्कालिक वाक एवं हिंदी शुद्धलेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलईन रूप से किया गया। सभी प्रतिभागियों को एक ग्रूप के द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से जोड़ा गया और उस ग्रूप पर संबंधित प्रतियोगिता का प्रश्न - पत्र अपलोड किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में भारतीय खान ब्यूरो के कुल 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया एवं उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया ।

हिंदी पखवाड़े के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं हिंदी के प्रचार - प्रसार व प्रगति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर में हिंदी पखवाड़े की अवधि में दिनांक 25 सितंबर, 2020 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु वेब - लिंक के माध्यम से ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस हिंदी कार्यशाला में कुल 21 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हिंदी कार्यशाला में भारतीय खान ब्यूरो कार्यालय के डॉ. पी. के. जैन, राजभाषा अधिकारी ने प्रौद्योगिकी का राजभाषा कार्यान्वयन में उपयोग विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

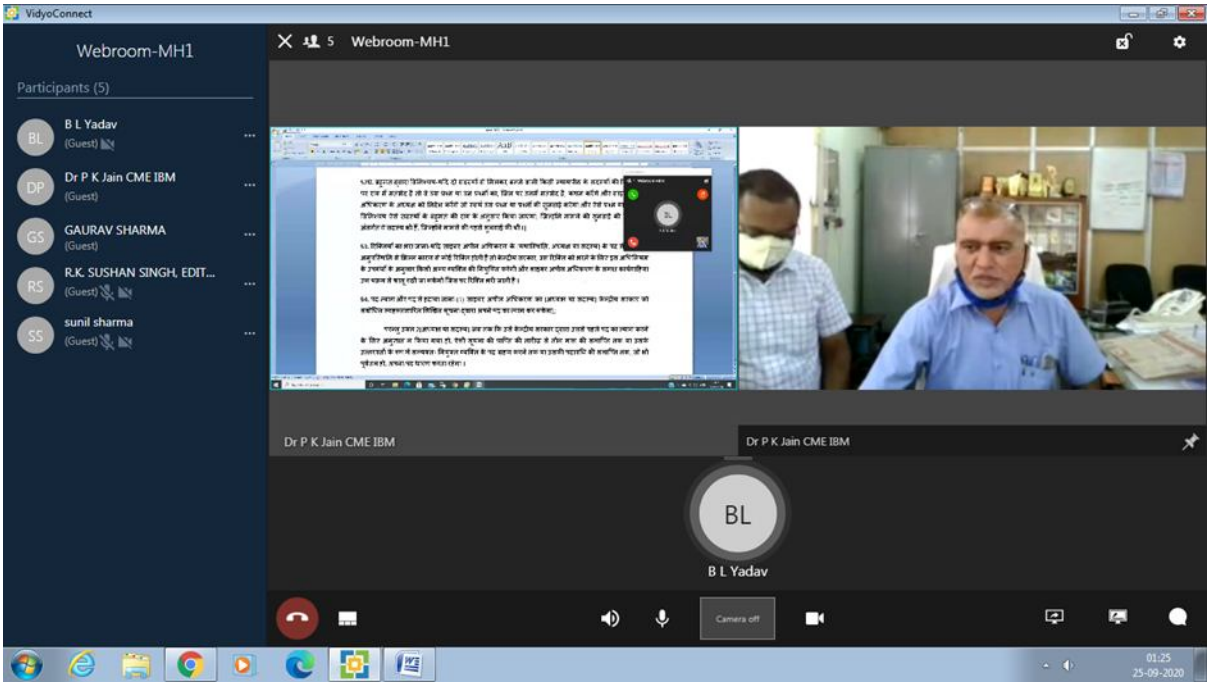

दिनांक 25/09/2020 को हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देते हुए डॉ. पी. के. जैन, मुख्य खनिज अर्थशास्त्री एवं राजभाषा अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो।

हिंदी पखवाड़ा के कार्यक्रम का संचालन श्री अभिनय कुमार शर्मा, सहायक संपादक द्वारा दिया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान सभी कार्यक्रमों की सफलता हेतु हिंदी अनुभाग के श्रीमती मिताली चटर्जी वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, श्री असीम कुमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी, श्री किशोर डी. पारधी, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, अवर श्रेणी लिपिक, श्री एन. एम. मोरे, प्रेसमैन तथा श्री ए. के. नाल्हे, एम. टी. एस. ने अपना पूर्ण योगदान दिया।

IBM में हिंदी पखवाड़ा

नागपुर. भारतीय खान ब्यूरो में हिंदी पखवाड़ा 2020 का आनलाइन उद्घाटन किया गया. ब्यूरो के मुख्य खान नियंत्रक (प्रभारी) पी.एन. शर्मा ने अध्यक्षता की. पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध, टिप्पण आलेखन, हिंदी अनुवाद, तात्कालिक वाक एवं हिंदी शुद्धलेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन रूप से किया गया. सभी प्रतिभागियों को एक ग्रुप के द्वारा जोड़ा गया. पखवाड़े के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वियन एवं हिंदी के प्रचार-प्रसार व प्रगति के उद्देश्या को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 21 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया. कार्यशाला में ब्यूरो कार्यालय के राजभाषा अधिकारी डा. पी.के. जैन ने प्रौद्योगिकी का राजभाषा कार्यान्वयन में उपयोग विषय पर मार्गदर्शन किया. अभिनय शर्मा, मिताली चटर्जी, असीम कुमार, किशोर पारधी, प्रदीप कुमार सिन्हा, एन.एम. मोरे, ए.के. नाल्हेज ने योगदान दिया.

Navbharat ,4.10.2020

भारतीय खान ब्यूरो में हिंदी पखवाड़ा-2020 का आयोजन

दैनिक भास्कर दि.-05/10/2020

नागपुर| हाल ही में भारतीय खान ब्यूरो के नागपुर मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा-2020 का ऑनलाइन आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान हिंदी में निबंध, शुद्धलेखन, टिपण्णी आलेखन, हिंदी अनुवाद पर प्रतियोगिता ली गई थी। सभी स्पर्धकों को एक ग्रुप के माध्यम से जोड़ा गया था, इसमें ब्यूरो के करीब 22 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया व पुरस्कार हासिल किए। हिंदी के प्रसार व प्रगति के लिए 25 सितंबर को अधिकारी व कर्मचारियों के लिए वेबिनार के जरिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में कुल 21 अधिकारी एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सभी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मिताली चटर्जी, असीम कुमार, किशोर पारधी, प्रदीपकुमार सिन्हा, एनएम मोरे आदि ने प्रयास किया।

IBM में राजभाषा पखवाड़ा

व्यापार प्रतिनिधि

नवभारत दि. 16/09/2020

नागपु. भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा मुख्य खान नियंत्रक पी.एन. शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया. ऑनलाइन उद्घाटन किया गया. ब्यूरो से शीर्ष अधिकारी वेब लिंक के माध्यम से जुड़े. शर्मा ने कहा कि दैनिक कामकाज हिंदी में ही किया जाना चाहिए. यह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है. हिंदी ने देश में कभी अन्य भाषाओं से संघर्ष नहीं किया बल्कि इसने अन्य भाषाओं को भी बल प्रदान किया. राजभाषा अधिकारी डॉ. पी.के. जैन ने कार्यालय ही हिंदी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन की जानकारी दी. इस अवसर पर निदेशक संध्या लाल, एस.के. अधिकारी, अभय अग्रवाल, क्षेत्रीय खान नियंत्रक वाय.जी. काले, अभिनय शर्मा प्रमुखता से उपस्थित थे.

Various programmes mark Hindi Pakhwada at IBM

6/10/2020

The **Indian Bureau of Mines** (IBM) **Headquarters** organized **Hindi Pakhwada** recently where essay, **note drafting, Hindi translation** and other competitions were conducted online. A total of **22 participants** of **IBM** participated in all these competitions and were given prizes. An online Hindi workshop was also organized where **21 officers** and employees participating enthusiastically. The **Hindi Pakhwada** was organized by **Abhinay Kumar Sharma**. Mitali Chati, **Aseem Kumar**, Kishor Pardhi, **Pradeep Sinha**, NK Morey and **AK Nalhe** contributed for the programme's success.

3. **तकनीकी एवं प्रशासनिक पत्रों का अनुवाद कार्य :-** वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण तकनीकी एवं प्रशासनिक दस्तावेजों का अनुवाद हिंदी में किया गया। वर्ष 2020-21 के लिए खान मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के करीब 125 पृष्ठों का हिंदी में अनुवाद किया गया। इसी प्रकार कोयला एवं इस्पात पर स्थायी संसदीय समिति से संबंधित सामग्री की करीब 25 पृष्ठों का अनुवाद हिंदी में किया गया तथा टंकण कर तकनीकी सचिव अनुभाग को भेजा गया।

4. **राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण-:** मुख्यालय के प्रभाग अनुभाग यथा प्रकाशन / अनुभाग, सामान्य अनुभाग, खान नियंत्रक कार्यालय (मध्य), लेखा अनुभाग, केंद्रीय पुस्तकालय, स्थापना अनुभाग, टी. एम. पी. प्रभाग, आधुनिक खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला एवं प्रायोगिक संयंत्र हिंगणा, बजट अनुभाग, जी. एम. एण्ड एम. एम. सेल, प्रशिक्षण केंद्र, खनन एवं खनिज सांख्यिकी प्रभाग, तकनीकी सचिव, नागपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर, भंडार अनुभाग तथा खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग, नागपुर का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण प्रश्नावली की समीक्षा की गई एवं निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गई।

   साथ ही, क्षेत्रीय कार्यालय, गाँधीनगर का दिनांक को एवं क्षेत्रीय 2021/02/16
   कार्यालय, गोवा का दिनांक यन संबंधी ऑनलाईन को राजभाषा कार्यान्व 2021/02/26
   निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गई।

5. **हिंदी कार्यशाला का आयोजन:**- भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यानवयन एवं हिंदी के प्रचार - प्रसार व प्रगति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर में दिनांक 25 सितंबर, 2020 तथा 15 दिसंबर, 2020 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु ऑनलाईन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस हिंदी कार्यशाला में कुल 21 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसी प्रकार दिनांक17 मार्च, 2021 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु ऑनलाईन हिंदी कार्यशालाका आयोजन किया गया। इस हिंदी कार्यशाला में कुल 22 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

   इसी प्रकार भारतीय खान ब्यूरो के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जैसे - कोलकाता आंचलिक कार्यालय में एवं 24/12/2020 को, उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में 24/06/2020, 23/09/2020 तथा 29/12/2020 को, अजमेर क्षेत्रीय

कार्यालय में 18/09/2020, 23/11/2020 तथा 25/01/2021 को, रांची क्षेत्रीय कार्यालय में 02/06/2020 एवं 30/09/2020 को, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय में 23/07/2020, 13/10/2020 तथा 13/01/2021 को, बेंगलुरू कार्यालय में 28/05/2020, 11/09/2020 तथा 09/12/2020 को, गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय में 14/06/2020, 14/09/2020 तथा 16/12/2020 को तथा गोवा क्षेत्रीय कार्यालय में 29/05/2020, 30/09/2020 तथा 10/11/2020 को हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं ।

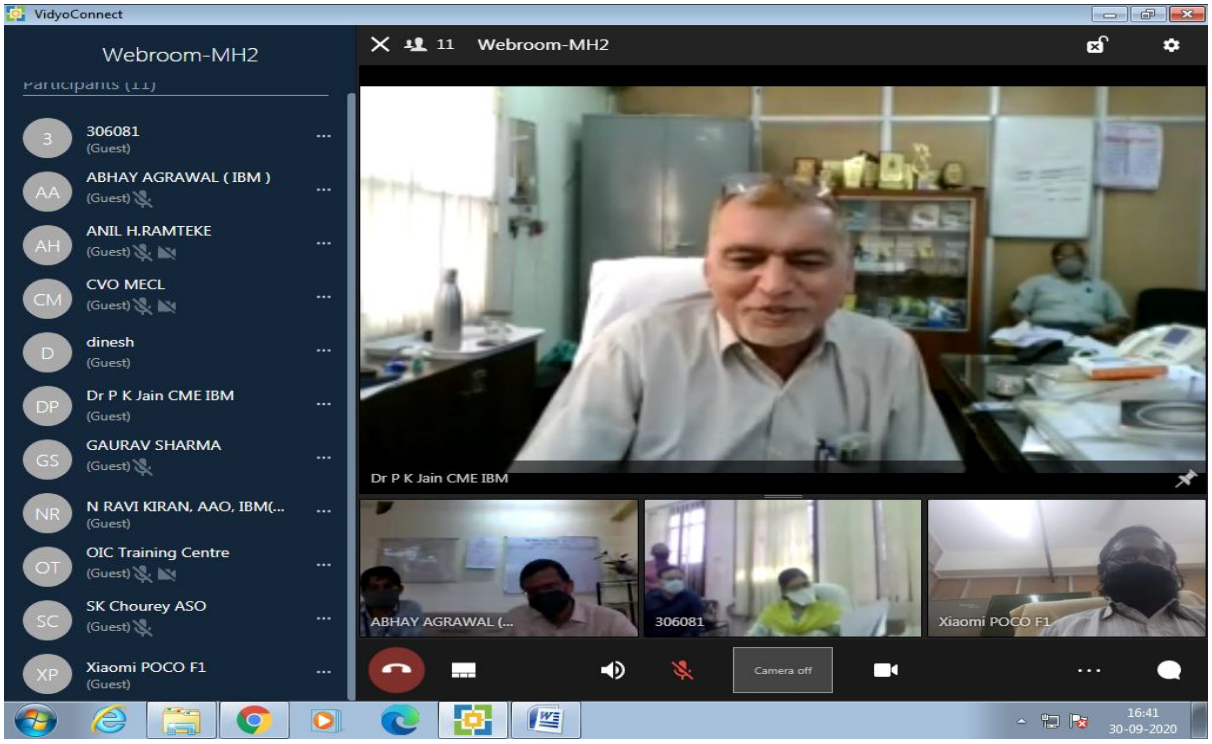

मुख्यालय में आयोजित हिंदी कार्यशाला में भाग लेते प्रतिभागी एवं व्याख्यान देते हुए डॉ. पी. के. जैन, मुख्य खनिज अर्थशास्त्री एवं राजभाषा अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो ।

6. **हिंदी अनुभाग द्वारा लॉक डाउन अवधि के दौरान हिंदी संबंधी कार्यों का विवरण एवं उपलब्धि :-** खान मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजे जाने हेतु भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के हिंदी अनुभाग द्वारा लॉक डाउन अवधि (जनवरी - मार्च, 2020) के दौरान हिंदी संबंधी कार्यों का विवरण एवं उपलब्धि।
7. **डिस्पले बोर्ड हेतु पावर प्वाईंट में हिंदी और अंग्रेजी में संशोधित शब्दावली का निर्माण :-** भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर के डिस्पले बोर्ड हेतु निदेशानुसार हिंदी और अंग्रेजी

के संशोधित शब्दावली का निर्माण पावर प्वाईंट में किया गया एवं डिस्पले बोर्ड हेतु भंडार अनुभाग को प्रेषित किया गया।

8. **हिंदी प्रोत्साहन योजना :-** हिंदी में मूल टिप्पण - आलेखन प्रोत्साहन योजना वर्ष 2018 -19 हेतु प्राप्त 61 प्रविष्टियों की जाँच की गई एवं मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् भारतीय खान ब्यूरो के 14 कार्यालयों के 61 कार्मिकों को पुरस्कार प्रदान किया गया।
9. **तकनीकी शब्दावली की खरीद :-** खान मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार खान मंत्रालय द्वारा निर्मित एवं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित खनन एवं खनिज संबंधी तकनीकी शब्दावली की चार सौ प्रतियों की खरीद की प्रक्रिया जारी है।
10. **हिंदी अनुभाग की वार्षिक कार्य योजना :-** अगस्त, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान की जाने वाली कार्य गतिविधियों से संबंधित हिंदी अनुभाग की कार्य योजना बनाई गई एवं तकनीकी सचिव, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को भेजी गई।
11. **संसदीय समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, गाँधीनगर का राजभाषा निरीक्षण :-** संसदीय समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, गाँधीनगर का दिनांक 19/02/2021 को राजभाषा निरीक्षण हेतु निरीक्षण प्रश्नावली के मुख्यालय से संबंधित जानकारी के 03 पृष्ठ तैयार किए गए एवं उक्त निरीक्षण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई किए गए। हालाँकि उक्त निरीक्षण को फिलहाल रद्द कर दिया गया है।
12. **मूल टिप्पण - आलेखन प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019 - 20 :-** मूल टिप्पण - आलेखन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 - 20 हेतु भारतीय खान ब्यूरो के 16 कार्यालयों के कुल 63 कार्मिकों को पुरस्कार प्रदान किया गया।

राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण बातें :

संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया । संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 26 जनवरी, 1950 को हिंदी भारत संघ की राजभाषा बनाई गई ।	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के कागजात (प्रभावी 26 जनवरी, 1965 से) इसके अंतर्गत आने वाले निम्न कागजातों को द्विभाषिक जारी करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है । संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा - सूचनाएं तथा निविदा प्रारूप ।
राजभाषा अधिनियम 1976 केंद्रीय सरकार प्राप्त व शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल 12 नियम बनाए हैं, मुख्यक हैं :- इसका विस्तारक तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है । 'क' क्षेत्र - बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड , अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र । 'ख' क्षेत्र - गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तथा चंडीगढ़ संघ राज्यी क्षेत्र । 'ग' क्षेत्र - उक्त में से शेष समस्त राज्य ।	भारतीय की आठवीं अनुसूची में दर्ज राजभाषाएं :- 1. असमिया 2. उड़िया 3. उर्दू 4. कन्नड़ 5. कश्मीरी 6. गुजराती 7. तमिल 8. तेलुगू 9. पंजाबी 10. बांग्ला 11. मराठी 12. मलयालम 13. संस्कृत 14. सिंधी 15. हिंदी 16. नेपाली 17. कोंकणी 18. मणिपुरी 19. बोडो 20. संथाली 21. मैथिली 22. डोगरी
राजभाषा नियम 8(4) केंद्रीय कार्यालय में प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उस संगठन के किन - किन विभागों / कार्यालयों / अनुभागों में शत - प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जा सकता है । इसके उपरांत उन विभगों / कार्यालयों / अनुभागों को राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत शत - प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाईड) किया जाता है ।	नियम 10(4) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान (मैट्रीक अथवा समकक्ष परीक्षा हिंदी के साथ उत्तीर्ण) प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है । इस अधिसूचना का तात्पर्य यह है कि अधिसूचित कार्यालय अपना कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने में पूर्ण सक्षम है ।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जाँच बिन्दु

(राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा निर्धारित)

1. राजभाषा अधिनियम व नियमों के उपबन्धों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रशासनिक अध्यक्ष का है। – नियम (12)

2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत निम्न कागजात द्विभाषी जारी किए जाएं । सामान्य आदेश (जैसे – परिपत्र, स्थायी प्रकार के सभी आदेश, अनुदेश पत्र, ज्ञापन, निर्णय, व्यक्तियों के समूह से संबंधित आदेश आदि), संविदाएं, प्रशासकीय रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट, टेंडर मांगने के नोटिस आदि।

3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी होने वाले कागजात द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं और हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर, हिन्दी में दिया जा रहा है। यह उत्तरदायित्व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का है। – नियम (6)

4. कोड, मैनुअलों, फार्मों और गजट सामग्री का निश्चित रूप से द्विभाषी प्रकाशन । रजिस्टरों, फाइलों पर शीर्ष हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में हों ।

5. हिन्दी पत्रों के आवक (डायरी) तथा जावक (डिस्पेच) रजिस्टर बनाए जाएं । कार्यालय से प्रेषित (डिस्पेच) किए गए पत्र की कार्यालय प्रति (ओ.सी.) पर, मूलपत्र अथवा जवाब (उत्तर) लिखा जाए तथा जावक (डिस्पेच) रजिस्टर में भी मूलपत्र या जवाब (उत्तर) लिखा जाए ।

6. ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों पर पते हिन्दी में लिखे जाएं ।

7. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दें । – नियम (5)

8. रबड़ मोहर, नाम पट्ट, साइन बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में ही हों ।

9. समूह ''ग'' और ''घ'' कर्मचारियों की सर्विस बुकों में प्रविष्टियाँ हिन्दी में ही की जाएं ।

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर